HRCI EN USIUA The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 1] No. 1] नई दिल्ली, दिसम्बर 28, 2014—जनवरी 3, 2015, शनिवार/पौष 7—पौष 13, 1936

NEW DELHI, DECEMBER 28, 2014—JANUARY 3, 2015, SATURDAY/PAUSA 7—PAUSA 13, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

का.नि.आ. 01.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिटरी इंजीनियरी महाविद्यालय, पूणे में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (समूह 'ख' पद) मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पूणे में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

- Note 1: For the purpose of these rules, the Director General Ordnance Factories and Chairman, Ordnance Factory Board may authorise any member of the Board or an Additional Director General, Ordnance Factories, to exercise all or any of the powers on its behalf and it shall be deemed to have been exercised by the said Board.
- Note 2: The incumbents in the posts mentioned in the Schedule are normally liable for service in the same factory or office in the Ordnance Factories Organisation. But this will be, without prejudice to the right of the management, in the public interest, to transfer them to equivalent posts in any other factory or office in the Ordnance Factories organization.
- Note 3: Within the total number of posts in the same Pay Band and Grade Pay/Pay Scale, addition to and reduction of posts under different designations and names on any Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale may be made by Ordnance Factory Board from time to time on the basis of changes in work load and functional requirements.
- **Note 4:** The mode of conducting trade tests shall be prescribed by the General Manager of the factory or Ordnance Factory Board. The tests may include written, practical examination, aptitude tests etc.
- Note 5: The term "Limited Departmental Competitive Examination" is only a method of Fast Track Promotion. Thus appointment through Limited Departmental Competitive Examination shall be treated as fast track Promotion for all purposes.
- Note 6: The term "General Manager of the factory" and its variations shall includ Senior General Manager, Additional General Manager and Heads of other establishments declared by Ordnance Factory Board to be equivalent to General Manager of factory
- Note 7: In relation to prescribed qualification, the question whether a qualification is equivalent to the prescribed qualification for any post shall be decided by the Ordnance Factory Board.
- Note 8: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F.No.41(4)/2010/D(Fy-II)]

AMLAN DAS, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

का.नि.आ. 05.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समृह 'ग' और समृह 'घ' (अग्निशमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1998, जहां तक कि उसका संबंध अग्निशमन अधीक्षक के पद से और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, अग्निशमन सेवा काडर (समृह 'ख') पद भर्ती नियम, 2004 से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रांत से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में अग्निशमन सेवा काडर (समृह 'ख') पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, अग्निशमन सेवा काडर (समृड 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना .—ये नियम, इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ! में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे !
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संबद्ध वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पश्चकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिषिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिक्षिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

			अनुसूर्चा		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रंड वेतन या वेतनमान	चयन पद हॅ अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाँ कं लिए आयु-सामा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी 	02* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	ਥੇਜ਼ਜ ਐਂड-2, 9300 34800 ਨ. ਸ਼ੇਫ ਕੇਜ਼ਜ 4800 ਨ.	चयन	लागृ नहीं होता
सीधी भर्ती किए व अपेक्षित शैक्षिक व	नाने वाले व्यक्तियों के वि और अन्य अर्हताएं	त ए	व्यक्तिय आयु अ प्रोन्नतः	तीं किए जाने वालें ों के लिए विहित ोर शैक्षिक अहंतार व्यक्तियों की दशा ृहोंगी या नहीं	Ę,
	(7)			(8)	(9)
लागू न	हीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता				लन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे लन किया जाएगा	
(10)			(11)		
प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			के ए विभाग सेवा व	्से उप-प्रभागीय नियमित आधार ही हो । जिन्होंने	9300-34800 रु.+ और ग्रेड वेतन 4600 में । अग्नि अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष , अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए

(11)

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो(प्रशिक्षण की अविधि एवं प्रकृति का निर्धारण, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र. रक्षा अनुसंघान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय तिमारपुर, दिल्ला द्वारा किया जाएगा)।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो. वहां उनके ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जर्बाक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है. साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति कं प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या वह तारीख से जिसकों छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरवना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाय उस दशा के, उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान साहत एक ग्रेणी में विलय है, और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक स्रेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के स् विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :- 1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा अनुसंध् और विकास संगठन 2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान, और विकास संगठन 3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) रक्षा मंत्रालय अथवा एकीकृत वित्त (ए.एफ.ए/अनु एवं वि.) रक्षा मंत्रालय	_	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी	05* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	ਕੇਰਜ ਕੈਂड-2, 9300— 34800 ਨ. ਸ਼ੇਂड ਕੇਰਜ 4600 ਨ.	चयन	लागृ नहीं होना
(7)		(8)	(9)
तागू नहीं	होता		लागृ	नहीं होता	लागू नहीं होता
	(10)		A STATE OF THE STA	(11)

69% प्रोन्नति द्वारा और 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नित: - वेतन बैंड 2, 9300-34,800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 में के ऐसे सहायक प्रभागीय अग्नि शमन अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। जिन्होंने, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो (प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति का निर्धारण, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, तिमारपुर, दिल्ला द्वारा किया जाएगा)।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किन्छ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी. 2006 से पहल या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संख्वा का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तल्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनिय्क्ति :

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र क अधिकारी:--
- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हों; या

(11)

(ii) जिन्होंने मल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300-34800 रू. + और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष संवा की हो: और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-

- (1) नशनल कॉलेज ऑफ फायर सर्विस, नागपुर या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से अग्नि इंजिनियरी में डिप्लोमा किया हो।
- (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में अग्नि शमन कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण-1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोनिति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है. साधारणतया ३ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की ऑतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा. 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वंतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)

समह 'ख' विभागीय प्रोन्तित समिति (प्रोन्तित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

----सदस्य

—सदस्य

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ---अध्यक्ष

- 2 निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
- 3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) विभाग, रक्षा मंत्रालय अथवा एकीकृत वित्त (ए.एफ.ए/अनु, एवं वि.) रक्षा मंत्रालय

(13)

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक	07* (2014)	साधारण	बेतन बैंड-2,	चयन	लागृ नहीं होता
प्रभागीय	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा	9300		
आंग्नशमन	आधार पर	सपूह 'ख',	34800 ₺. ÷		
अधिकारी	परिवर्तन किया	अराजपत्रित,	ग्रेड वेतन		
	जा सकता है।	अननुसचिवीय	4200 रु.		
	(7)		(8)	(9)
लागू नहीं होता			नहीं होता	दो वर्ष	

(10)

प्रोन्नित द्वारा

(11)

प्रोन्नित : वंतन बैंड 1.5200-20200 रु.+ ग्रेड वंतन 2800 रु. में के स्टेशन अधिकारी जिन्होंने रक्षा अनुसंघान एवं विकास संगठन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो । और नेशलन कॉलेज अग्निशमन सेवा, नागपुर से अग्नि इंजिनियरी में डिप्लोमा किया हो या अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, रक्षा अनुसंघान एवं विकास संगठन द्वारा संचालित विमान दुर्घटना बचाव और अग्निशमन में साधारण पाद्यक्रम किया हो, या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित अग्नि इंजिनियरी या स्टेशन अधि कारी या अनुदेशक पाद्यक्रम में डिप्लोमा किया हो ।

टिप्पण 1: सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नित हेतु पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष की बनी रहेगी जो इन नियमों के अधिसूचित होने के तारीख से नियमित आधार पर तत्कालीन अग्निशमन मास्टर के पोषक पदों को धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3: प्रान्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करन के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संस्वना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
समृह 'ख' विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रो विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखि		संघ लोक सेवा आयोग से परापर्श करना आवश्यक नहीं है ।
 मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास, र 	क्षा अनुसंधान,	
और विकास संगठन	—अध्यक्ष	
2. निदेशक, रक्षा अनुसंघान, और विकास स	ांगठन —सदस्य	
3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विका	स), रक्षा	
मंत्रालय अथवा एकीकृत वित्त(ए.एफ.ए/र	अनु, एवं	
वि.) रक्षा मंत्रालय	<u>—</u> सदस्य	

[फा. सं. डी एच आर डी/76257/आर आर/एफओ/सी/पी/01/3031/डी(आर एंड डी)] एस. डी. गसीर, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 2nd December, 2014

- S.R.O. 05.—In exercise of the power's conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 1998, insofar as it relates to the post of Fire Superintendent and the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Fire Service Cadre (Group 'B') posts Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Fire Service Cadre (Group 'B') posts in the Defence Research and Development Organisation under the Ministry of Defence, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Fire Service Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. -These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 5. Disqualifications. No person,
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Chief Fire Officer	02* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 puls Grade Pay of Rs. 4800	Selection	Not applicable
Educational a required for d	nd other qualificati irect recruits		Whether age and eduqualifications prescrit direct recruits will ap case of promotees	oed for	Period of probation, if any
(7)		(8)		(9)	
Not app	licahle		Not applicable	plicable Note	
of the vacanc	or by deputation ies to be filled by (10)	Vabsorption and pot the various method	_	on to be made	which promotion/deputation/
By promotion	n failing which by o	leputation	2, Rs.9300 service in regular ba successful Fire Explo Developm duration a the Centre Defence F Defence T Note1: W or eligibil their sent not short o more than two year complete higher gr	the grade renders is in the parent ly completed to sives and Environment Organisation and nature of the For Fire Explication of the parent Development	ional Fire Officer in the Pay Bandde pay of Rs. 4600 with two years ared after appointment thereto or teadre or Department, who have raining imparted by Centre Formment Safety, Defence Research on, Ministry, of Defence, (The raining shall be determined by osives and Environment Safety opment Organisation, Ministry of the considered for promotion be considered for promotion be considered provided they are qualifying or eligibility service of their juniors who have alreading or eligibility service of their juniors who have alreading or eligibility service.

(11)

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation:

- (a) Officers of the Central or State Government or Union territories:
- (i) holding analogous post in the parent cadre or department; or
- (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience:
- (i) a diploma in fire engineering from National College of Fire Services, Nagpur or any other Institute recognised by Government.
- (ii) three years experience in fire fighting work of Central Govt Fire Service Organisation.
- Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
- Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding lifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 4: For purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition					which Union Public Service to be consulted in making	
Under Secretary, D(R&D), Ministry of Defence or Integrated Finance (AFA/(R&D), Ministry				(13)		
			—Chairman —Member —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2. Deputy Divisional Fire Officer	05* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300— 34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable	
	7)		(8)		(9)	
Not app		No	t applicable		Not applicable	
	(10)			(1	1)	
60% by prom	notion and 40% by	deputation	band-2, R years ser thereto or who have Centre for Research (The duri by the Ce Defence Defence, Note 1: qualifyin promotion they are service b service successi promotion	s. 9300-34800 with vice in the grade a regular basis in the successfully control explosives and Development Organion and nature of mire For Fire Explor Research Development Timarpur, Delhi). Where juniors with a gore eligibility ser and their seniors word in their seniors word in their seniors word in their seniors word in the received on the pext higher in the rext higher in the rest high	sional Fire Officer in the pay grade pay of Rs. 4200 with five rendered after appointment the parent cadre or department upleted training imparted by d Environment Safety, Defence initiation, Ministry of Defence it training shall be determined usives and Environment Safety ment Organisation, Ministry of the have completed their vice are being considered fould also be considered provided pulsite qualifying or eligibility is such qualifying or eligibility hichever is less, and have their probation period for grade along with their junior d such qualifying or eligibility	

(11)

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation:

Officers of the Central or State Government or Union territories:

 (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

OF

- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department;
- (b) possessing the following educational qualification and experience:
- (i) possessing a diploma in fire engineering from National College of Fire Services, Nagpur or any other Institute recognised by Government;
- (ii) two years working experience in fire fighting work from Central or State Government or Union territories.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(13)(12)Consultation with Union Public Service Group 'B' Departmental Promotion Committee Commission necessary while appointing an (for considering promotion) consisting of :officer on deputation. 1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research -Chairman and Development Organisation 2 Director of Defence Research and Development Organisation ---Member 3. Under Secretary (D/R&D), Ministry of Defence or Integrated Finance (AFA/R&D), Ministry -Member of Defence (6)(5)(4)(1) (2)(3)Not applicable Selection 07*(2014) General Central Pay Band-2, 3. Assistant Rs.9300-Service, Group 'B'. *Subject Divisional 34800 plus Non-Gazetted, to variation Fire Officer Non-Ministerial Grade Pay » dependent Rs. 4200 on workload. (9) (8) (7)Two years Not applicable Not applicable (11)(10)Promotion: Station Officer in the pay band-1, Rs. 5200 -By promotion

20200 with grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Defence Research and Development Organisation and possessing a Diploma in Fire Engineering from National College of Fire Services Nagpur or general course in Air Crush Rescue and Fire Fighting conducted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety. Defence Research Development Organisation, or dinloma in Fire Engineering or Station Officer and Instructor's course conducted by Ministry of Home Affairs.

Note 1: The eligibility service for promotion to the post of Assistant Divisional Fire Officer shall continue to be five years for persons holding the cratwhile feeder posts of Fire Master on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully

(11)

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junions who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of counting minimum qualifying service for promotion, service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st Ianuary 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

. (12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation	—Chairman	
Director of Defence Research and Development, Organisation	-Member	
 Under Secretary (D/R&D), Ministry of Defence or Integrated Finance (AFA/R&D), Ministry of Defence 	Member	

[FNc.DHRD/76257/RRs/FO/CP/01/3031/D(R&D)]

S.D. BHASOR, Under Secy.



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

नई दिल्ली, नवम्बर 16—नवम्बर 22, 2014, शनिवार/कार्तिक 25—अग्रहायण 1, 1936

No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 16—NOVEMBER 22, 2014, SATURDAY/KARTIKA 25—AGRAHAYANA 1, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II -- Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंघान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2014

का.नि.आ. 70.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती(दूसरा संशोधन), नियम, 2014 होगा ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. डी एच आर डी/76237/डीआस्टीसी/आर आर/पी/एम/03]

एस, डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 11, खंड 4 में का. नि. आ. 296 तारीख 5 दिसम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का. नि. आ. 50, तारीख 12 फरवरी, 2002 का. नि. आ. 147, तारीख 26 जून, 2002 का. नि. आ. 33, तारीख 29 फरवरी, 2008 और ॲतिम संशोधन का. नि. आ. 13, तारीख 20 जनवरी, 2014 द्वारा किए गए।

(629)

4415 GI/2014

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 31st October, 2014

- S. R. O. 70 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre
- (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Second Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazetted.
- In the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 in Foot Note, in Note 4, for the words and letter "Technical Assistant 'A'", the words and letter "Technical Officer 'A'", shall be

[F. No. DHRD/76237/DRTC/RR/P/M/03] S. D. BHASOR, Under Secy.

Note: - The Principal rules were published in the Gazette of India part II, Section 4, vide S.R.O. 296 dated the 5th December, 2000 and subsequently amended vide S.R.O. 50, dated 12th February, 2002, S.R.O. 147, dated 26th June, 2002, S.R.O. 33 dated 29th February, 2008 and last aended vide S.R.O. 13, dated the 20th January, 2014

(Department of Defence Production)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th November, 2014

S.R.O. 71.— In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following corrigendum to the Defence Quality Assurance Service Rules, 2014 published vide SRO-1 dated 20.1.2014 in Part II, Section-4 of the Gazette of India dated Jan 26-Feb 1, 2014. SRO No. 1

In Schedule-1, Sl. No. 3, Col 5

- FOR:- (a) Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the 'member was appointed or recruited to Group
- READ:-(a) Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the member was appointed or recruited to Group
 - (b) Officers of the Junior Administrative Grade who have entered service direct in Senior Time Scale Group 'A' with nine year' combined regular service in Senior Time Scale and Junior Administrative Grade.

In Schedule-1, Sl. No. 6, Col 4

FOR:- (c) 50% by promotion on the basis of selection

(d) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission

READ:-(a) 50% by promotion on the basis of selection

(b) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission

[F. No. A/93103/2255/D(QA)DGQA/Adm-6B] KIRAN MALA KUJUR, Under Secy.



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 3]

नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2014, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1935

No. 3] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2014, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, सर्विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय (वर्ग 4 औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1974 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (अभिलेखपाल, दप्तरी, चपरासी, चौकीदार, लशकर और सफाईवाला) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारिवृद) भर्ती नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि,—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(49)

(रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- । (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में
 - (क) अनुसूची-1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

''अनुसूची I''

[नियम 3 के उपनियम (1) और (4) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर

प्रवर्ग, ग्रेड, वेतनमान और समूह वर्गीकरण

ग्रेड	पदनाम	पदों की संख्या*	वेतनमान (रु.)	वर्गीकरण : रक्षा सेवा में सिविलियन
प्रवर्ग-'क	.)			
1.	तकनीशियन 'क'		वेतन बैंड-1/1900	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2.	तकनीशियन 'ख'		वेतन बैंड-1/2400	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसिचवीय
3.	तकनीशियन 'ग'		वेतन बैंड-1/2800	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	तकनीकी सहायक 'ख'		वेतन बैंड-2/4200	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
5.	तकनीकी अधिकारी		वेतन बैंड2/4600	समूह 'ख्र' राजपत्रित, अननुसिचवीय
6.	उप कुल प्रवर्ग 'क'	5541		
प्रवर्ग-'ख	τ'			
l.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख'		वेतन बैंड-2/4200	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2.	तकनीकी अधिकारी 'क'		वेतन बैंड-2/4600	समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय
3.	तकनीकी अधिकारी 'ख'		वेतन बैंड-3/5400	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	तकनीकी अधिकारी 'ग'	,	वेतन बैंड-3/6600	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
5-	तकनीकी अधिकारी 'घ'		वेतन बैंड-3/7600	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
6.	उप कुल प्रवर्ग 'ख'	8303		

^{*} परिवर्तन हो सकता

(ख) अनुसूची 3, के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

''अनुसूची 3''

[नियम 6 का उप-नियम (3) देखें]

क्र. सं	वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति हुई है	वह ग्रेड जिसमें प्रोन्नति हुई है	ऐसे पात्र कर्मचारियों की प्रतिशतता जिनको वार्षिक मूल्यांकन में अगले ग्रेड में प्रोन्नत किया जा सकता है	रेजिडेंसी अवधि
1.	तकनोशियन 'क'	तकनीशियन 'ख'	70%	5 वर्ष
2.	तकनीशियन 'ख'	तकनीशियन 'ग'	60%	5 वर्ष
3.	तकनीशियन 'ग'	तकनीशियन सहायक 'ख'	50%	5 वर्ष
4.	तकनीकी सहायक 'ख'	तकनोकी अधिकारी	45%	5 वर्ष *
5.	तकनीकी सहायक	तकनीकी अधिकारी 'ख'	35%	5 वर्ष #
6.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायन, 'ख'	तकनीकी अधिकारी 'क'	60%	5 वर्ष \$
7.	तकनीकी अधिकारी 'क'	तकनीको अधिकारी 'ख'	35%	5 वर्ष !!
8.	तकनीको अधिकारी 'ख'	तकनीकी अधिकारी 'ग'	30%	5 বর্ष
9.	तकनीकी अधिकारी 'ग'	तकनीकी अधिकारी 'घ'	20% @	6 वर्ष
10.	तकनीकी अधिकारी 'घ'			

पाद टिप्पण :-

- * टिप्पण 1 : ऐसे तत्कालीन तकनीकी सहायक 'क', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी सहायक 'ख' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अविध की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।
- # टिप्पण 2 : ऐसे तत्कालीन तकनीकी सहायक 'ग', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी अधिकारी के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी ।
- \$ टिप्पण 3 : ऐसे तत्कालीन ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क', जिनका उन्नयन हुआ है और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से अथवा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क' के रूप में नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से की जाएगी ।
- !! टिप्पण 4 : ऐसे तत्कालीन ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ग', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी अधिकारी 'क' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी ।
- @ ऐसे तकनीकी अधिकारी 'घ' की काडर संख्या किसी भी समय बिन्दु पर तकनीकी अधिकारी 'ग' की काडर संख्या के बीस प्रतिशत तक सीमित होगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76237/डीआरटीसी/आरआर/पी/एम/03]

एस. डो. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 296, तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित और प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था —

- 1. का.नि.आ. 50, तारीख 12-2-2002
- 2. का.नि.आ. 147, तारीख 28-6-2002
- 3. का.नि.आ. 33, तारीख 29-2-2008

(b) For Schedule III, the following schedule shall be substituted namely:-

SCHEDULE III

[See Sub-rule (3) of rule 6]

SL No.	Promotion from grade	Promotion to grade	Percentage of eligible employees who could be promoted to the next grade in annual assessment	Residency period
1.	Technician 'A'	Technician 'B'	70%	5 years
2.	Technician 'B'	Technician 'C'	60%	5 years
3.	Technician 'C'	Technical Assistant 'B'	50%	5 years
4.	Technical Assistant 'B'	Technical Officer	45%	5 years *
5.	Technical Officer	Technical Officer 'B'	35%	5 years#
6.	Sr. Technical Assistant 'B'	Technical Officer 'A'	60%	5 years \$
7.	Technical Officer 'A'	Technical Officer 'B'	35%	5 years!!
8.	Technical Officer 'ь	Technical Officer 'C'	30%	5 years
9.	Technical Officer 'C'	Technical Officer 'D'	20% @	6 years
10.	Technical Officer 'D'			

Foot Note:-

- * Note 1: In respect of erstwhile Technical Assistants 'A' who have been upgraded and merged with Technical Assistant 'B', the residency period will count from 1-1-2006.
- #Note 2: In respect of erstwhile Technical Assistants 'C' who have been upgraded and merged with Technical Officer, the residency period will count from 1-1-2006.
- \$ Note 3: In respect of erstwhile Sr. Technical Assistants 'A' who have been upgraded and merged with Sr. Technical Assistant 'B', the residency period will count from 1-1-2006 or date of appointment as Sr. Technical Assistant 'A' whichever is later.
- !! Note 4: In respect of erstwhile Sr. Technical Assistants 'C' who have been upgraded and merged with Technical Assistant 'A', the residency period will count from 1-1-2006.
- @ The Cadre strength of Technical Officer 'D' at any point of time be limited to twenty per cent of the cadre strength of "Technical Officer 'C'."

[F. No. DHRD/76237/DRTC/RR/P/M/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note: The Principal rules were notified published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. 296, dated 5th December, 2000 and amended vide notification numbers —

- 1. S.R.O. 50, dated 12-2-2002
- 2. S.R.O. 147, dated 28-6-2002
- 3. S.R.O. 33, dated 29-2-2008



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

— ਜਂ. 22] No. 221 नई दिल्ली, अक्तूबर 26—नवम्बर 1, 2014, शनिवार/कार्तिक 4—कार्तिक 10, 1936

NEW DELHI, OCTOBER 26—NOVEMBER I, 2014, SATURDAY/KARTIKA 4—KARTIKA 10, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 64.— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 तारीख 22 अक्तूबर में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की अधिसूचना का.नि.आ. 97 तारीख 10 नवम्बर, 2012 में पृष्ठ 560 पर पंक्ति 4 में "राजपत्रित" के स्थान पर "अराजपत्रित" पढ़ा जाए।

> [सं. डी.एच.आर.डी. /16342/भ. नि./प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/02/2198/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14] एस. डी. भसोर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th September, 2014

S. R. O. 64.—In the notification of the Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development dated the 22nd October, 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S. R. O. 97, dated the 10th November, 2012 page 568, in line 39, for "Gazetted" read "Non Gazetted".

[No. DHRD/16432/RRs/Admin Cadre/C/P/02/2198/D(R&D)/14] S. D. BHASOR, Under Secy.

(621)

4152 GI/2014

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 65 .— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 तारीख 18 अक्तूबर में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की अधिसूचना का.नि.आ. 94 तारीख 10 नवम्बर, 2012 में पृष्ठ 542 पर, पंक्ति 37 में "राजपत्रित" के स्थान पर, "अराजपत्रित" पढ़ा जाए ।

> [सं. डी.एच.आर.डी. /16342/भ. नि./भंडार संवर्ग/सी/पी/03/2199/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14] एस. डी. भसोर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th September, 2014

S.R.O. 65.—In the notification of the Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development dated the 18th October, published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide S.R.O. 94, dated the 10th November, 2012 at page 542, in line 37, for "Gazetted" read "Non Gazetted".

[No. DHRD/16432/RRs/Store Cadre/C/P/03/2199/D(R&D)/14] S. D. BHASOR, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

का.नि.आ. 66 .—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) संशोधन भर्ती नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2009 में-
- (क) नियम 2 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखें जाएंगे ;
 - (ख) अनुसूची में -
 - (i) स्तंभ (4) में "वेतनमान" शोर्ष और उसके अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

•	
"वेतनमान बैंड और ग्रेड वे	तन या वेतनमान"
(4)	
वितन बैंड-3, 15600-39100 रु.	धन ग्रेड वेतन 6600 रु.

(ii) स्तंभ (12) में वेतन ग्रेड में "7,500-12000 रुपए कृपया के वेतनमान" अंकों और शष्दों के स्थान पर, "वेतन वैंड-2 , 9,300-34,800 रु. धन वेतन 4,800 रु." अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(3)/सी/2007]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में अधिसूचना सं. का. नि. आ. 17 तारीख 1 अगस्त, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

(FINANCE DIVISION)

New Delh, the 21st October, 2014

- S.R.O. 66.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2009, namely:
 - 1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Amendment Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2009, --
 - in rule 2, for the words "scale of pay" at both the places, where they occur, the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;
 - (b) in the Schedule-
 - (i) in column (4), for the heading "Scale of Pay" and the existing entries there under, the following shall be substituted, namely-

"Pay band and grade pay or pay scale"

(4)
"Pay Band-3 of Rs.15600-39100 plus grade pay

Rs.6600"

(ii) in column (12), for the words, letters and figures "pay scale of Rs.7,500-12,000" the words and figures "Pay band-2 of Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,800" shall be substituted.

[F. No. 9(3)/C/2007]

DEVIKA RAGHUVANSHI, Jt. Secy. & Addl. FA

Foot Note. -The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S. R. O. 17, dated the 1st August, 2009 Part-II, Section 4.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 67.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात;

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती संशोधन नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम 2011, की अनूसूची के स्तंभ (10) की मद (ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"25% प्रोन्नित द्वारा वेतन बैंड 1 में 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे प्रशासिनक सहायक 'क' हों उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित द्वारा "

[फा. सं. डी.एच.आर.डी. /76257/आर आर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04] एस. डी. भसोर, अवर सचिव टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. 59 तारीख 13 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् भर्त्ती नियम का.नि.आ. 65 तारीख 19अक्तूबर 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd September, 2014

- S.R.O. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Cons itution, the President herebymakes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C(Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, namely:-
 - 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C (Administrative Assistant '13' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, in column (10), for the existing entry at item (ii), the following entry shall be substituted, namely:-

"25% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Administrative Assistant 'A' in the Pay Band-l, Rs 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900/- with five years regular service in the grade, failing which by promotion on the basis of seniority".

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst/B'/C/P/04]

S.D. BHASOR, Under Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 59, dated the 13th August, 2011 and subsequently amended vide number S.R.O. 65, dated the 19th October, 2013.

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2014

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द के अधीन स्थापनाओं में (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:

- (1) इन नियमों का सिक्षप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2014 है ।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग') पद भर्ती नियम 2012, की अनूसूची के स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक पद के सामने निम्निलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात् :—

(i) ब्रिगेडियर या समकक्ष

अध्यक्ष

(ii) कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष

सदस्य

(iii) मेजर या कैप्टन या समकक्ष

सदस्य

टिप्पण: क्रम संख्या (i) और (ii) पर विभगीय प्रोन्नित सिमिति के सदस्य उसी संगठन से नहीं होंगे ।

[फा. सं. 15762/आर आए/समूह 'ग'/आई डी एस/कार्मिक/277/ए (नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 61, तारीख 07 अगस्त, 2012 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 20th October, 2014

- S. R.O. 68.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment Rules, 2012, namely:—
 - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment Rules, 2012, for the existing entries under column (12) against each post, the following entries shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-

(i) Brigadier or equivalent

- Chairman;

- (ii) Colonel/Lieutenant Colonel or equivalent Member;
- (iii) Major/Captain or equivalent

- Member.

Note: The members of Departmental Promotion Committee at SI. No. (i) and (ii) will not be from same organisation."

[F. No. 15762/RRs/Group 'C'/IDS/PERS/277/D (Apptts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 61, dated the 7th August, 2012.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05

HRA WISIUS UNION The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 8] No. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 27—मई 3, 2014, शनिवार/वैशाख 7—वैशाख 13, 1936 NEW DELHI, APRIL 27—MAY 3, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 7—VAISAKHA 13, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- ा. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1978, में-
- (क) नियम 2 में, खंड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (14) ''आंतरिक छंटनी समिति (प्रार्रोभक)''- से प्रोन्नित के लिए वैज्ञानिक 'छ' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टो का मुल्यांकन करने और अपनी सिफारिशें आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) को देने के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
- (15) ''आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)''- से वैज्ञानिकों 'छ' के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए, प्रोन्नित के संबंध में एवं पीयर समिति को अपनी सिफारिशें देने के प्रयोजन के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

- 336
 - नियम 8 को उपनियम (2) को खंड (ख) में,-(ख)
 - उपखंड (iख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-(i)
 - ''वैज्ञानिक 'छ' से वैज्ञानिक 'ज', में प्रोन्नित के लिए, अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट ''आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)'' (iग) वैज्ञानिकों 'छ' की प्रोन्नति पर विचार करने और औसत अंक देने के लिए मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वैज्ञानिकों की योग्यता की पात्रता का विनिश्चय करने हेतु अपने स्वयं के मानक तैयार करेगी''।
 - ''अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) वैज्ञानिक 'छ' के साथ अनन्योक्रिया करेगी और पीयर (i) समिति को अपनी सिफारिशें देगी'':-
 - ''उप-खंड ((iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-(ii)
 - ''अनुसूची 1घ में यथा विनिर्दिष्ट पीयर समिति ऐसे वैज्ञानिक 'छ' जिसने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो (iii) और जिसकी आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) द्वारा गुणागुण, उपलब्धियों, नेतृत्व क्षमता तथा प्रबंधकीय गुणवत्ताओं के आधार पर विचार करने के पश्चात् वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के पद पर प्रोन्नति के लिए सिफारिश की गई हो, का मूल्यांकन करेगी'':
 - अनुसूची 1ख में, शीर्षक ''वैज्ञानिक 'छ' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों और इससे संबंधित प्रविष्टियों का पुनर्विलोकन करने के (ग) लिए आंतरिक छंटनी समिति'', के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

वैज्ञानिक 'छ' की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की छंटाई करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक) तथा वैज्ञानिक 'छ' के साथ अनन्योक्रिया करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)।

आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)

(ख) वैज्ञानिक 'छ'

सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई विशिष्ट वैज्ञानिक ।

---अध्यक्ष

(ii) मुख्य नियंत्रक, अनु. और वि. (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ।

–सदस्य

(iii) निदेशक, कार्मिक निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ।

---सचिव (गैर-सदस्य)

आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)

(i) अध्यक्ष, भर्ती और मूल्याकंन केंद्र या ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी क्षेत्र अर्थात् यथास्थिति, विज्ञान या गणित या मनोविज्ञान या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में सिद्ध ज्ञान, अनुभव एवं निपुणता हो, जिनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए।

---अध्यक्ष

(ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन वैज्ञानिक जो कि ''विशिष्ट वैज्ञानिक'' के स्तर से नीचे के न

---सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/भ.नि/सी/पी/12]

एस. डी. भासोर, अवर सचिव

टिप्पणी :-रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 भारत के राजपत्र, भाग-2, अनुभाग 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 2 अगस्त 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 7 अगस्त 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि. आ. 328, तारीख 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-च, तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157, तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 2 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 9 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ. 179, तारीख 13 नवम्बर, 2003, का.नि.आ. 35, तारीख 3 फरवरी, 2006, का.नि.आ. 52, तारीख 22 सितम्बर, 2007, का.नि. आ. 62, तारीख 5 जुलाई, 2008, का.नि.आ. 36, तारीख 9 मई, 2011, का.नि.आ. 21, तारीख 23 मार्च, 2012, का.नि.आ. 11, तारीख 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 22nd April, 2014

- S. R. O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1978, namely:-
 - 1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1978,-
 - (a) in rule 2, after clause(13), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - '(14) "Internal Screening Committee (Preliminary)"— means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of evaluating the performance appraisal reports of Scientists 'G' for promotion and giving their recommendations to the Internal Screening Committee (Main);
 - (15) "Internal Screening Committee (Main)" means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of interactions with Scientists 'G' for promotion and giving their recommendations to the Peer Committee;
 - (b) in rule 8, in sub-rule(2), in clause (b),-
 - (i) after sub-clause (ib), the following sub-clause shall be inserted, namely :-
 - "(ic) For promotion from Scientist 'G' to Scientist 'H', the Internal Screening Committee (Preliminary) specified under Schedule 1B shall evolve its own criteria for deciding the eligibility of Scientists by Assessment Board, for considering promotion and award average marks for the Scientist 'G'".
 - "(id) The Internal Screening Committee (Main) specified under Schedule 1B shall interact with the Scientist 'G' and make recommendations to Peer Committee";-
 - (ii) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:-
- "(iii) The Peer Committee as specified in Schedule ID shall assess Scientists 'G', who have completed three years regular service in the grade and have been recommended by the Internal Screening Committee (Main), for promotion to the post of Scientist 'H' (Outstanding Scientists) based on merit, achievements, leadership and managerial qualities";
- (c) in Schedule 1B, for the heading "Internal Screening Committee to Review Performance Appraisal Reports of Scientists 'G' and the entries relating thereto", the following shall be substituted namely:-

"The Internal Screening Committee (Preliminary) to screen Annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'G' and Internal Screening Committee(Main) for interaction with Scientists 'G'

Internal Screening Committee (Preliminary)

- (b) Scientist 'G'
- (i) Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him.

---- Chairperson

(ii) Chief Controller, R&D(HR), Department of Defence Research and Development.

---- Member

(iii) Director, Directorate of Personnel, Department of Defence Research and Development.

----Secretary (Non-Member)

Internal Screening Committee (Main)

(i) Chairman, Recruitment and Assessment Centre or a person having proven knowledge, experience and expertise in any field namely Science or Mathematics or Psychology or Engineering or Technology or Metallurgy, as the case may be, to be nominated by the Central Government.

(ii) Three Scientists not below the level of "Distinguished Scientist" nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development".

----- Members

[F. No. DHRD/76205/DRDS/RRs/C/P/12]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note:- The Defence Research and Development Service Rules, 1978 here published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide number S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide S.R.O.307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, -S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated 2nd August, 1985, S.R.O.228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March, 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, dated the 3rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September, 2007, S.R.O. 62, dated the 5th July, 2008, S.R.O.36 dated the 9th May, 2011, S.R.O. 21 dated the 23rd March, 2012,

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 34 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत और यॉत्रिक इंजीनियरों के कोर में प्रयोगशाला निदर्शक/प्रारूपक, प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर के पदों पर जैसा कि रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय के पत्र संख्या बी/15198/रिव. (आर.ओ.आई.)/ई.एम.ई. सिव.-3 दिनांक 9 जून, 2006 के द्वारा अनुमोदित व रक्षा मंत्रालय के विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों के अभिलेख कार्यालय निर्देशन (आर.ओ.आई.)/ 2006 (खण्ड-II) में प्रकाशित किया गया है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर में प्रयोगशाला निदर्शक/प्रारूपक, प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर, प्रयोगशाला कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

HRCI est USUA The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 9] No. 9]

नई दिल्ली, मई 4—मई 10, 2014, शनिवार/वैशाख 14—वैशाख 20, 1936

NEW DELHI, MAY 4—MAY 10, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 14—VAISAKHA 20, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

का.िन.आ. 35.—राष्ट्रपित, सिंवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय वर्ग III तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसिच्चियीय पद भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उसका संबंध सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-I और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातृ :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों) भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा व अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

1776 GI/2014

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee
(for considering probation lifting or confirmation)
consisting of:—

(1) Commandant or Officer Commanding or an
officer not below the rank of Captain
—Chairman

(2) Two Officers of the rank of Captain or junior
Commissioned Officers or Foreman or
Chargeman
—Members

[F. No. B/89228/RR/Searcher/EME Civ. (C-2)/63/D(Apptts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासिनिक सहायक 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पर) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में :--
 - (क) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-
 - ''पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा''
 - (ख) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-
 - (i) दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

(परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम् आयु–सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पैतालिस वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पचास वर्ष हैं ।)

टिप्पण: - यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों से अधिक, संख्या में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में उदभूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर जो बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते है, से पहले विचार किया जाए।

(ii) पांच प्रतिशत चयन के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले रिक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

[फा. सं. डी.एच.आर.डी./76257/भर्ती नियम/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ.-12, तारीख 15 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 7th April, 2014

- S.R.O. 37.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Amendment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazatte.
- 2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, in the Schedule,-
 - (a) in column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
 - "Eighty-five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion".
 - (b) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion:

(i) Ten per cent. through departmental examination from Group 'C' staff in the grade pay of Rs. 1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

(The maximum age-limit for eligibility of examination is forty-five years in the case of general candidates and fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).

Note: If more of such employees than the available number of vacancies qualifies in the departmental examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(ii) Five per cent on selection basis from amongst Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7)".

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03]

S.D. BHASOR, Under Secy.

Note: The principal rule was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O.12 dated 15th February, 2013.

} LK

(11)

Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Armed Forces Personnel:

Deputation Re-employment: The Armed Forces personnel holding the rank of Master Chief Petty Officer or Chief Petty Officer in the Army, Navy or Air Forces in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 and possessing degree in law from a recognised University who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year shall also be considered and if selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation in respect of civil post).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitmen (13) Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.	
(12)		
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of: 1. Deputy Director General, Coast Guard		
Headquarters — Chairman 2. Chief Law Officer, Coast Guard		
Headquarters — Member 3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters — Member		

[F. No. CP/0601/Legal Assistant/1220/D(CG)/2013]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

:

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक, पद 'ख') भर्ती (संशोधन) भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक, पद 'ख') भर्ती नियम, 2011, अनुसूची के
 - (i) स्तंभ 5 में, 'लागू नहीं' शब्दों के लिए, 'गैर-चयन' शब्दों को रखा जाएगा:
 - (ii) स्तंभ 10 में, 'चयन' शब्द के लिए जहां-जहां यह आता है उसके स्थान पर 'ज्येष्ठता' शब्द रखे जाएंगे ।
 - (iii) स्तंभ ।। में, प्रोन्नति शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को अपने-अपने विभागीय प्रोन्नित सिमिति-2 में नियमित आधार पर प्रशासनिक सहायक 'क'पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक सहायक 'ख' पद पर प्रोन्नित के लिए अर्हक सेवा पांच वर्ष की बनी रहेगी।"

> [मिसिल सं. मासंविनि/76257/भर्ती नियम/प्रशासनिक सहायक, 'ख'/सी/पी/04] एस. डी. भसोर, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 59 तारीख 27 जुलाई, 2011 को प्रकाशित किए गए थे।

$(Department\ of\ Defence\ Research\ and\ Development)$

New Delhi, the 11th September, 2013

- S.R.O. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C'(Administrative Assistant, 'B' post) Recruitment Rules, 2011 namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.
 - (i) in column 5, for the words 'Not applicable', the words 'Non-selection', shall be substituted;
 - (ii) in column 10, for the word 'selection' where ever it occurs the word 'seniority', shall be substituted;
- (iii) in column 11, after heading 'promotion' and the entries relating thereto the following proviso may be inserted, namely:-

Provided that the eligibility service for promotion to the post of Administrative Assistant "B' shall continue to be five years for persons holding the post of Administrative Assistant 'A' on regular basis in the respective Departmental Promotion Committee-II Group on the date of notification of these rules.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst 'B'/C/P/04]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Foot Note: The Principal rule were notified vide SRO 59 dated 27 July 2011.

2

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 66.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, प्रोग्राम कार्यालय और सिचवालय कार्यक्रम अधिकारी, उप कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा किनष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और आशुलिपिक समूह 'ख' (ज्येष्ठ व्यक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1989, जहां तक इनका संबंध, उप कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (साधारण), तथा किनष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय) के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में कार्यक्रम कार्यालय तथा सचिवालय पदों की भर्ती को पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातृ :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, कार्यक्रम कार्यालय और सचिवालय, भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
l. उप-कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति)	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

		[PART II—SEC. 4		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
(7)	(8)	(9)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनर प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(10)	(11)			
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश प्रधारण किए हुए हैं : या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 स् + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस प्रपर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास समन्वय, सम्पर्क, वैयक्तिक प्रबंधन के संबंध में वैज्ञानिव अथवा तकनीकी परियोजनाओं के प्रबंधन का 10 वर्ष का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किर्स अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।			
	टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए । जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।			
विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से		
(12)	(13)			
······································	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है			

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के अधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए । जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

	THE OAZE	TE OF INDIA: OC	TOBER 19, 2013//	ASVINA 27, 1935	[Part II—Sec. 4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बेंड-3, 15600 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
·	(7)		(0		
	लागू नहीं होता		(8 लागू नही		(9) लागू नहीं होता
·	(10)			(11)	
प्रि	तेनियुक्ति द्वारा		(क)(i) जो मूर् धारण किए हुए हैं (ii) जिन्होंने मूल ग्रेड वेतन 5400 र	केन्द्रीय सरकार के अ त काडर अथवा विभ हैं, या त काडर या विभाग में इ. या समतुल्य वेतनम	धीन ऐसे अधिकारी : गांग में नियमित आधार पर सदृश पद वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + गांन में नियमित आधार पर इस पद पर वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
			(iii) जिन्होंने मूर ग्रेड वेतन 4800 र	त काडर या विभाग म इ. या समतुल्य वेतनम	में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + गन में नियमित आधार पर इस पद पर वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
			(ख) जिसने आह	हरण और संवितरण निर्वचन करने, बजट	अधिकारी के रूप में वित्तीय नियमों विश्लेषण और प्रक्षेपणों पर कार्य का
			(प्रतिनियुक्ति की अन्य संगठन या वि बाह्य पद पर प्रतिनि होगी) । प्रतिनियु	अवधि, जिसके अंतर्ग भाग में इस नियुक्ति से ग्युक्ति की अवधि है, क्ति पर नियुक्ति के	त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी । ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन । वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।
			1 जनवरी, 2006 र पर आधारित पुनरी अधिकारी द्वारा निय सिफारिशों के आध सेवा समझी जाएर वेतनमान का विलय यह फायदा केवल	या (वह तारीख जिस क्षित वेतन संरचना नि मित आधार पर की ग गर पर विस्तारित तत्स् गि सिवाय उसके ज ग समान ग्रेड वेतन/वेत उस पद या उन पद	ार नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों वेस्तारित की गई है) से पूर्व किसी ।ई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की श्यानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई हां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ।नमान के साथ में हुआ है, और जहां ों के लिए विस्तारित किया गया है । उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन
67	(12)			(13)	
7	लागू नहीं होता		संघ लोव		ामर्श करना आवश्यक है ।
	····				

	7J	मारत का राजपत्र	: अक्तूबर 19, 2013/	'आश्विन 27, 1935	54
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक	1* (2013)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-3,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कार्यक्रम अधिकारी	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'क',	15600	-	A 12. CIM
आवकारा (साधारण)	आधार पर परिवर्तन किया	राजपत्रित,	39100 ₹. +		
(आयारण)	पारवतन ।कथा जा सकता है।	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन		
	जा सकता हा		6600 रु.		
	(7)	<u> </u>	(8)		(0)
	लागू नहीं होता		 लागू नहीं		(9)
			्रामू नहा	61(1)	लागू नहीं होता
	(10)			(11)	
प्रति	नियुक्ति द्वारा		प्रतिनियस्ति : न्ये		2-7
		क्रासानुष्याः क (क)(i) जो मल	न्द्रीय सरकार के अधीन । काइर अथवा विशास रे	रस आधकारो : ो नियमित आधार पर सदृश पद	
			धारण किए हुए हैं	ं, या	। नियामत आधार पर सदृश पद
			(ii) जिन्होंने मूल	काडर या विभाग में वेतन	। बैंड-3, 15600-39100 रु. +
			ग्रंड वतन 5400 <i>रु</i>	ं या समतुल्य वेतनमान मे	नियमित आधार पर दम्म पट पर
			नियुक्ति के पश्चात	। उस श्रेणी में पांच वर्ष व	ही नियमित सेवा की हो; और
			(iii) जिन्होंने मूल	काडर या विभाग में वेत	न बैंड-2, 9300-34800 रु. +
			ग्रंड वेतन 4800 रु.	. या समतुल्य वेतनमान में	नियमित आधार पर दम्म पट पर
			ानयु।क्त के पश्चात	्उस श्रेणों में छह वर्ष क	ी नियमित सेवा की हो; और
			(ख) जिसका गृह	-प्रबंधन और साधारण प्रः	राासन, भंडार की खरीद, भंडार
			क प्रबंध, ।नावदार दस्तावेजों आदि में	भा के जारा करने व उ पांच वर्ष का अनुभव हो	नको अंतिम रूप से निपटाने,
			अन्य संगतन या विश	1914, ।जसक अंतरात कर गाग में इस निराधित से जीवर	द्रीय सरकार के उसी या किसी पहले धारित किसी अन्य काडर
			बाह्य पद पर प्रतिनिय	ान न २५ मिनुनिस से ठाका क्ति की अवधि है। साधाः	पहल धारत किसा अन्य काडर एणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं
			होगी) । प्रतिनियुक्ति	त पर नियुक्ति के लिए अधि	कतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त
			करने की अंतिम तार	ोख को छप्पन वर्ष से आ	धेक नहीं होगी) ।
			टिप्पण : प्रतिनिय्	ुक्ति के आधार पर नि	युक्ति के प्रयोजनों के लिए
			। जनवरा, 2006 या	(वह तारीख जिसको छत	है वेतन आयोग की सिफारिओं
			पर आधारित पुनरीहि	क्षेत वेतन संरचना विस्ता	रेत की गई है) से पर्व किसी
			आधकारा द्वारा निया	मत आधार पर की गई सेव	॥ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की
			संस्थारशा के आधाः सेवा समझी जनामी	१ पर विस्ताारत तत्स्थाना	ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई
			वेतनमान का विलय	ासवाय उसक जहा एर समान गेट नेवन/नेन्याप	क से अधिक पूर्व पुनरीक्षित के साथ में हुआ है, और जहां
			यह फायदा केवल र	रागा प्रज जतगपतानमान उस पद या उन पटों के	क साथ म हुआ हे, आर जहा लिए विस्तारित किया गया है
			जिनके लिए वह ग्रेड	वेतन/वेतनमान किसी उन्नय	ग्न के बिना सामान्य प्रतिस्थापन
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ग्रेड है ।		जार के सम्बद्धाः जासस्याच्या
	(12)			(12)	
	 ग् नहीं होता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(13)	
या	161 bidi		संघ लोक	सेवा आयोग से परामर्श व	करना आवश्यक है ।

c	A	2
٦	41	. 1

PART	II—SEC.	4
1 4 1/1/1	u-oru.	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. किनष्ट कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		
	लागू नहीं होता		लागू नहीं		(9) लागू नहीं होता
	(10)			(11)	
ЯК	नियुक्ति द्वारा		(क)(i) जी मूल धारण किए हुए हैं (ii) जिन्होंने मूल ग्रेड वेतन 4800 रु नियुक्ति के पश्चात (ख) प्रोटोकाल व शामिल हैं, में तीन (प्रतिनियुक्ति की अन्य संगठन या विश्वाह्म पद पर प्रतिनियु होगी) । प्रतिनियु प्राप्त करने की ऑत टिप्पण : प्रतिनियु प्राप्त करने की आधार समझी जाएगी सिवार समझी जाएगी सिवार समझी जाएगी सिवार	, या काडर अथवा विभाग में द काडर अथवा विभाग में द . या समतुल्य वेतनमान तृ उस श्रेणी में दो वर्ष क कार्यों जिसमें बैठकों, सें वर्ष का अनुभव हो । अविध, जिसके अंतर्गत व भाग में इस नियुक्ति से ठीव युक्ति की अविध है, साध वेत पर नियुक्ति के लिए म तारीख को छप्पन वर्ष युक्ति के आधार पर वि (वह तारीख जिसमें छठे वेतन संरचना विस्तारित व आधार पर की गई सेव पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रे य उसके जहां एक से आ	ऐसे अधिकारी: में नियमित आधार पर सदृश पद वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + में नियमित आधार पर इस पद पर में नियमित आधार पर इस पद पर हो नियमित सेवा की हो; और मेनार एवं कांफ्रेंस का आयोजन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी क पहले धारित किसी अन्य काडर गरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं अधिकतम आयु-सीमा आवेदन से अधिक नहीं होगी)। नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों पर की गई है) से पूर्व किसी अधि । छठे केंद्रीय वेतन आयोग की ड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा धिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का हुआ है, और जहां यह फायदा
	(12)		वेतन/वेतनमान किसी	। पदा के लिए विस्तारित है - उन्नयन के बिना सामान्य	केया गया है जिनके लिए वह ग्रेड य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
	(12)			(13)	
<u>ল</u>	ागू नहीं होता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	संघ लोक	सेवा आयोग से परामर्श	करना आवश्यक है।
			[फा.	सं. डी एच आर डी/163	45/आर आर/पीओ/मी/पी/०।३

र डी/16345/आर आर/पीओ/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 4 में का.नि.आ. सं. 12 दिनांक 13 जनवरी, 1986 को प्रकाशित किए गए थे। आगे जिनका स्थान का.नि.आ. सं. 66 दिनांक 18 मार्च, 1989 ने लिया तथा का.नि.आ. सं. 141 दिनांक 18 जून, 1991 द्वारा आगे संशाधित किए गए।

New Delhi, the 27th September, 2013

- S.R.O. 66.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat (Programme Officer, Deputy Programme Officer, Assistant Programme Officer and Junior Programme Officer and Stenographer Grade 'B' (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1989) in so far they relates to the post of Deputy Programme Officer (Manpower), Assistant Programme Officer (Finance), Assistant Programme Officer (General) and Junior Programme Officer (Coordination) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Programme Officer and Secretariat posts in the Defence Research and Development Organistion, Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat, Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
- 3. Name of posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of post, number, their classification and the pay band, grade pay or scale of Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.
 - 5. Disqualifications.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission; relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Deputy Programme Officer (Manpower)	I* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay Rs. 7600	Not applicable	Not applicable

	OCTOBER 19, 2013/ASVINA 27, 1935	5 [Part II—Sec.		
Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any		
(7)	(8)	(9)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promot grades from which promotion or dep	ion or deputation or absorptic outation or absorption to be made		
(10)	(11)			
By deputation	Deputation: Officers under the Cent (a)(i) holding analogous posts on reg department; or	tral Government : gular basis in the parent cadre o		
b.	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; and			
	(b) possessing ten years experience in Managing Scientific or Technical Projects in relation to Coordination, Liaisoning, Personal Management.			
	(Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).			
	Note: For the purpose of appointment rendered on a regular basis by an office thousand six (the date from which the the Sixth Central Pay Commission recordshall be deemed to be service rendered pay or pay scale extended based on the commission except where there has be pre-revised scale of pay into one grade pay scale, and where this benefit will which that grade pay or pay scale is twithout any upgradation.	on deputation basis, the service er prior to the First January two revised pay structure based on mmendation has been extended) ed in the corresponding grade e recommendations of the pay been merger of more than one e with a common grade pay or extend only for the post(s) for		
Departmental Promotion Committee exists, what is apposition		ich Union Public Service sulted in making recruitment		
(12)		- 5 sostatubilit		
Not applicable	(13) Consultation with Union is not necessary.	Public Service Commission		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	5	
2. Assistant Programme Officer (Manpower)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	(6) Not applicable	
	(7)		(8)	······································		
	Not applicable		Not appl	icable	(9) Not applicable	
	(10)			(11)		
By do	eputation	((a)(t) holding anal department; or	cers under the Centra logous posts on regu	tlar basis in the parent cadre	
		(nereto on regular	pasis in the scale of	de rendered after appointme f pay of Rs. 15600-39100 plo r equivalent in the parent cad	
		() tl	iii) with six years hereto on regular	basis in the scale o 800 in Pay Band-2 or	le rendered after appointment f pay of Rs. 9300-34800 plu equivalent in the parent cadi	
		1	 possessing fivechnical Projects fanagement. 	re years experience in relation to Coord	e in Managing Scientific of in Managing Scientific of ination, Liaisoning, Persona	
		or sh ap	(Period of deputation including period of deputation in anotation and cadre post held immediately preceding this appointment in the or some other Organisation or Department of the Central Goveshall ordinarily not to exceed three years. The maximum agelappointment by deputation shall be not exceeding fifty six yon the closing date of receipt of applications).			
		No ren the the sha pay	ote: For the purpondered on a regular ousand six (the dates sixth Central Payall be deemed to yor pay scale extended.	ise of appointment or ir basis by an officer te from which the re Commission recomments be service rendered anded based on the	n deputation basis, the service prior to the First January two evised pay structure based on mendation has been extended) in the corresponding grade	
		pre pay wh	revised scale of scale, and where	where there has been pay into one grade we this benefit will extend or pay scale is the	en merger of more than one with a common grade pay or tend only for the post(s) for commal replacement grade	
	(12)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	(13)		

Consultation with Union Public Service Commission

necessary.

Not applicable

_	4	-	
٦	Δ	h	

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 19 2013/ASVINA 27 1035

4]

		0. 1	CTODER 19, 201.	JIAS VIIVA 21, 1935	[Part II—Sec. 4		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
3. Assistant Programme Officer (Finance)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable		
	(7)		(0)				
	Not applicable		(8)		(9)		
	Тостаррисцые		Not app	licable	Not applicable		
	(10)			(11)			
By deputation			(a)(i) holding and department; or(ii) with five yea thereto on regula	icers udner the Centralogous posts on reg rs' service in the gra r basis in the scale of 5400 in Pay Band-3	ral Government: ular basis in the parent cadre or ade rendered after appointment of pay of Rs. 15600-39100 plus or equivalent in the parent cadre		
			(iii) with six years' service in the grade rendered after appointmen thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and				
			(b) possessing five years experience as Drawing and Disbursing Officer, interpretation of Financial Rules or Regulations, making Budgetary Analysis and Projections.				
			(Period of deputation including period of deputation in anoth cadre post held immediately preceding this appointment in the or some other Organisation or Department of the Central Govern shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-lin appointment by deputation shall be not exceeding fifty six ye on the closing date of receipt of applications).				
	,] t t s s F c F P	Note: For the purperendered on a regulation and six (the contral Passian) be deemed to be an or pay scale excommission exceptore-revised scale of pay scale, and when	pose of appointment of lar basis by an office late from which the sty Commission reconction be service rendered tended based on the sty where there has buf pay into one grade are this benefit will easy or pay scale is to	on deputation basis, the service or prior to the First January two revised pay structure based on amendation has been extended) and in the corresponding grade a recommendations of the pay een merger of more than one with a common grade pay or extend only for the post(s) for the normal replacement grade		
	(12)			(13)			
 ,	Not applicable	e	Cons		Public Service Commission		

necessary.

pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

548	8 THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 19, 2013/ASVINA 27, 1935						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	[PART II—SEC. 4]		
5. Junior Programme Officer (Coordination)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable		
	(7)		(8)	<u> </u>	(0)		
	Not applicable		***	plicable	(9) Not applicable		
	(10)			(11)			
By de	putation		Deputation : Of	ficers under the Centi	ral Cayaranant		
		1	(a)(i) holding and department; or	alogous posts on reg	ular basis in the parent cadre or		
		o () () () () () () () () () (orade Pay of Rs. or department; and (b) possessing the work relating to a Period of depute address post held in or some other Organism the closing data and the closing data are constant of the closing data and the closing data and the closing data are commission exceptions.	4800 in Pay Band-2 and ree years experience arranging Meetings, ation including period namediately preceding anisation or Department to exceed three year leputation shall be not e of receipt of applications of appointment and a passis by an office date from which the ay Commission record to be service rendered the extended based on the pay the pay into one grade are this benefit will apply or pay scale is to	of pay of Rs. 9300-34800 plus or equivalent in the parent cadre in protocol functions including Seminars and Conferences. od of deputation in another exg this appointment in the same ment of the Central Government urs. The maximum age-limit for ot exceeding fifty six years as cations). on deputation basis, the service or prior to the First January two revised pay structure based on mendation has been extended) and in the corresponding grade or recommendations of the pay seen merger of more than one with a common grade pay or extend only for the post(s) for the normal replacement grade		
	(12)			(13)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Not applicable	e	Consultation with Union Public Service Commission necessary.				
				[F. No.	DHRD/16345/RR/PO/C/P/011		

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note: The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. No. 12, dated, the 13th January, 1986. The same was further superseded vide S.R.O. No. 66, dated the 18th March 1989 and further amended vide S.R.O. No. 141, dated the 18th Jun., 1991.

HRCL AN USINA The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

ਲਂ. 20] No. 20]

नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2013, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1935

NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2013, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (समूह 'क' राजपित्रत) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम, 1991 तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, (प्रशासिनक और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासिनक अधिकारी, समूह 'क' राजपित्रत पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

3305 GI/2013

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
 संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक) 	6* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, रु. 37400— 67000 + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता	
सीधे भर्ती किए जा शैक्षिक और अन्य	ने वाले व्यक्तियों के अर्हताएं	लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने व के लिए विहित आयु अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तिय लागू होंगी या नहीं	और शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
	(7)		(8)	***	(9)	
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		शून्य	
या प्रतिनियुक्ति अध	भर्ती सीधे होगी या अवा आमेलन द्वारा त ाने वाली रिक्तियों की	था विभिन्न	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आम् प्रतिनियुक्ति/आमेलन वि	नेलन द्वारा भर्ती के न ज्या जाएगा	मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/	
(10)		(11)				
प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा		प्रोन्नति :				
		प्रशासनिक अधिकारी वि	जसने उस श्रेणी में	7600 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। हे संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक		

(11)

अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,
- (ii) प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बधी मामले में बारह वर्ष का अनुभव रखता हो ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंकित में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति मौजूद है तो उसकी संरचना				भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग स परामर्श किया जाएगा			
	12)			(13)			
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विकारने के लिए): 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य 2. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास रक्षा							
अनुसंधान उ	और विकास संगठन	-	-सदस्य				
3. रक्षा मंत्रालय	म में संयुक्त सचिव या	वैज्ञानिक 'जी' —	सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	16* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता		
	(7)		(8)				
7	तागू नहीं होता		लागू नहीं होता		(9) शून्य		
	(10)						
निति द्वारा जिसक	े न हो सकने पर प्रति	 ਜੇ ਹ ਫਿਰ ਟਾਸ	प्रोन्ति :	(11)			
		COTTO BILL	वरिष्ठ प्रशासनिक रु+ग्रेड वेतन 660	अधिकारी ग्रेड-! के वे 0 रु. जिसने मूल काड में पांच वर्ष नियमित	तनमान में वेतन बैंड-3, 15600-39100 हर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के सेवा की हो ।		
			टिप्पण 1: जहां अथवा पात्रता सेवा उनसे ज्येष्ठ व्यक्ति उनके द्वारा की गपात्रता सेवा के आगन हो और उन्हें अर्हक/पात्रता सेवा लिए अपनी परिवी टिप्पण 2: प्रोन्मिके लिए, I-1-200 पर आधारित पुनर किसी अधिकारी :	ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियं । पूरी कर ली है, प्रोन्नि। ।यों के संबंध में भी विः ई ऐसी अर्हक अथवा धे से अधिक से या दो ोंने अपने ऐसे किन पहले ही पूरी कर ली क्षा की अवधि सफलत ते के लिए न्यूनतम अह 6 (वह तारीख जिससे द्वारा नियमित आधार	ों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक ते के लिए विचार किया जा रहा हो वहां चार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम एड व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के ग्रापूर्वक पूरी कर ली हो। ईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों विस्तारित की गई है) से पूर्व की गई पर की गई सेवा वेतन आयोग की नमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(11)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बेंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री.
- (ii) प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बधी मामले में बारह वर्षों का अनुभव ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पॉक्त में हैं, प्रितिनयुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रितिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रितिनयुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए । जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :

संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य

---अध्यक्ष

 मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

---सदस्य

 निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

—सदस्य

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। (12)

 निदेशक, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय या निदेशक/ उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय/वित्त (अनुसंधान और विकास)

—सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/जेडी (प्रशासन) एवं सीएओ/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 8th July, 2013

- S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence (Group 'A', Gazetted) Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 1991 and Defence Research and Development Organization (Administrative and Stores Posts) Recruitment Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer, Group 'A' Gazetted Posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Name of the posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale. —The name of the said posts, number, their classification and the pay band, grade pay and scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.
- 4. Method of recruitment, age limit, and other qualification. The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
 - 5. Disqualifications. -No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULI	C		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Joint Director (Administrative) Educational and required for director	dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial.	qualificatio	Selection ge and educational on prescribed for hits will apply in the	Not applicable Period of probation, if any	
	(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Nil		
by promotion o	r by deputation	ther by direct recruin/absorption and pervarious methods	ercentage abso	case of recruitment orption, grade from wl orption to be made	by promotion/deputation/ nich promotion/deputation/	
(10)				(11	1)	
By Promotion failing which by deputation			Promotion ·			

By Promotion failing which by deputation

Promotion:

Chief Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 with five years of regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whchever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note: 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(11)

Deputation: Officers of the Central or State Government or Union Territories;

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years service in the grade rendeded after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre of Department; and
- (b) possessing following educational qualification and experience:—
- (i) degree of a recognised University:
- (ii) twelve years experience in Administrative Establishment or Accounts matters.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note: For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

 Chairman or Member of Union Public Service Commission

—Chairman

Consultation with Union Public Service Ministerial. necessary while appointing an officer on deputation.

	(12)					
2. Chief Contro Defence Re Organisation	oller (Research & esearch and Devi	Development elopment	—Member			
3. Joint Secreta Ministry of	ary or Scientist ' Defence	G' in	—Member.	****		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
2. Chief Administrative Officer	16*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection		Not applicable
	(7)			(8)		(9)
Not applicable		No	t applicable		Nil	
	(10)				(11)	
By Promoti	on failing which	hu danutati				

By Promotion failing which by deputation

Promotion:

Senior Administrative Officer Grade-I and Senior Stores Officer Grade-I in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3, with five years regular service in the cadre or department.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note: 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation: Officers of the Central or State Government or Union Territories;

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years service in the grade rendeded after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(11)

- (b) possessing following educational qualification and experience:—
- (i) degree of a recognised University;
- (ii) ten years experience in Administrative, Establishment or Accounts matters.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note: For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission	—Chairman	Consultation with Union Public Services Commission necessary while appointing an officer on deputation.	
Chief Controller (Research & Development Defence Research and Development Organisation	Member		
3. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation	—Member		
 Director, Department of Defence, Ministry of Defence or Director/Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence/Finance (Research and Development) 	Member		

[F. No. DHRD/16342/RRs/JD (Admn.) & CAO/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 141 No. 14] नई दिल्ली, जून 2-जून 8, 2013, शनिवार/ज्येष्ठ 12-ज्येष्ठ 18, 1935

NEW DELIII, JUNE 2—JUNE 8, 2013, SATURDAY/JYAISTHA 12—JYAISTHA 18, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग ॥—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 2013

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन समूह "ख" और समूह "ग" हिंदी अनुवाद पद [हिंदी अधिकारी, ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और किनष्ठ अनुवादक(हिंदी) | भर्ती नियम, 2000 का अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा), ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के पर्दों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन समूह "क" और "ख" हिंदी अनुवाद पद [सहायक निदेशक(राजभाषा), ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और किनष्ठ अनुवादक(हिंदी)] भर्ती नियम, 2013 है।

 - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हताः वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2013

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' (हिंदी) पद भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
- 3. पद नाम संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य वारों वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - , (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 🔔
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमीं के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

भन्य विशेष प्रवर्ग व पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	अनुसूचा	चयन पद. है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
			(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)		चयन	लागू नहीं होता
ज्येष्ठ सहायक (हिंदी)	19* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 । ग्रेड वेतन 4600 रु.		`

भारत का	राजपत्र : जून 8, 2013/ज्येष्ठ 18, 1935	
भाग II—खर्ड न उ विधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित क्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अविधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(7)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आर्मलन किया ज	
(10)	(1	
प्रोन्नति द्वारा ।	रु. + ग्रेड वेतन ४२०० रु. में निया	निकी वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 मेत आधार पर नियुवित के पश्चात् श्रेणी में वेतयों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या
	द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्ति पहले ही पूरी कर ली है, अगल परिवीक्षा की अविध संफलतापूर्वव टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यू के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1. वेतन आयोग की सिफारिशों पर व गई है से पूर्व नियमित आधार प आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेत	तिम अहंक संवी की संगणना परिन के यू हैं 1.2006 से पूर्व वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय प्राधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित कं र की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों प न/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
	<u> </u>	करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव
यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना	आय	ग से परामर्श किया जाएगा
(12)	ं रें रें रें	(13) . म लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
समूह "ख" विभागीय प्रोन्ति समिति के सद	स्य (प्रान्तात क स्टब्स् बनेगी :	वश्यक नहीं है ।
संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से फ़ि 1. मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा	—अध्यक्ष	
अनुसंधान और विकास संगठन व निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक,	सदस्य	
मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास)सदस्य	
रक्षा मंत्रालय		

.8	THE GAZET	TE OF INDIA: JU	JNE 8, 2013 /JY	AISTHA 16, 193	5 (FART II-ODE: 1)
(1).	(2)	(3)	(4)	(5)	
हायक (हिंदी)	66* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	ਕੇਜਜ ਵੈਂड- 2 9300 34800 + ਸ਼ੇਤ ਕੇਜਜ 4200 ਦ	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशें या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल कें जा सकती है) । टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख भारत । अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने व अतिम तारीख होगी । (न कि वह अंति तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाच प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और करमं राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदे के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम् जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान अ निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
					(9)
	(7)		(8)	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिये दो

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिन्दी ं में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के साथ हो ।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिन्दी परीक्षा एवं अनुदेश के माध्यम के रूप मे तथा अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में के साथ हो।

हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषयों के रूप में या दोनो मे से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा मुख्य विषय के रूप में के साथ बैचलर डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालुयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम भी है हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव ।

या

टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के (7)

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क़)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियुमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या
- (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा हैं; और
- (ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताए और अनुभव धारित करता हो ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा । जनवरी, 2006 से या पूर्व वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई हैं नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है, जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(13)संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना (12)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

आवश्यक नहीं है।

 मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

_अध्यक्ष

2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

_सदस्य

निदेशालय

3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय

---सदस्य

[फा. सं. मासंविनि/76239/भर्ती नियम/हिन्दी/सी/पी/02] एस. डी. भसोर, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th May, 2013

- S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Hindi) post Recruitment Rules 1998, except as respects things done or omitted to be deen before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Develoopment Organization, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to posts specified in Schedule annexed to these rules.
- 3. Name of the Post, Number, classification, pay band and grade pay/pay scale.—The name of the posts, number their classification, pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification. No person, —
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
 - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal lav applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
 - 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax an of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
 - 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions require to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons i accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(Attito or bear	Number of post	Classification	Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(l) Senior Assistant (Hindi)	(2) 19* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service Group 'B' Non-Gzetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 Plus grade pay of Rs. 4600	(5) Selection	(6) Not applicable

भाग []—खण्ड 4]	जून 8, 2013/ज्येष्ठ 18, 1935	Period of probation, if any
Educational and other qualification required for	The ther age and educational ualification prescribed for irect recruits will apply in the ase of promotees	
	(8)	(9)
(7)	Not applicable	Not applicable
Not applicable		
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	made	omotion or deputation/absorption or deputation or absorption to be
	(11)	
(10) By Promotion	in the grade pay of KS. 4200 in	i in the pay scale, Rs. 9300-34800 n PB-2 with five years regular service ppointment thereto on regular basis. no have completed their qualifying ing considered for promotion, their
	or eligibility service are de seniors also be considered requisite qualifying or eligibilities less and have successful for promotion to the next who have already complete. Note 2: For the purpose service for promotion, the by an officer prior to 1st the revised pay structure.	provided they are not short of the provided they are not short of the provided their probation period thingher grade along with their juniors and such qualifying/eligibility service. The of computing minimum qualifying e service rendered on a regular basis January, 2006, (the date from which the based on the Sixth Central Pay dations has been extended) shall be corresponding pay/pay
·	scale extended based commission.	
	scale extended based of Commission.	is which the Union Publi
If a Departmental Promotion Committee exists, whits composition	scale extended based commission. Commission. Circuitatis Service	mstances in which the Union Publice Commission is to be consulted ingrecruitment
If a Departmental Promotion Committee exists, whits composition	scale extended based of Commission. That is Circum Service making	mstances in which the Union Publice Commission is to be consulted ingrecruitment (13)
its composition (12) (12)	scale extended based of Commission. That is Circum Service making	mstances in which the Union Publice Commission is to be consulted ingrecruitment
(12) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: 1. Chief Controller (Research & Development) Defence Research and Development Organisation 2. Director, Directorate of Personnel or	scale extended based of Commission. That is Circum Service making Commission. Consequence of Commission Commission.	mstances in which the Union Publice Commission is to be consulted ingrecruitment (13) The sultation with Union Public Service
(12) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: 1. Chief Controller (Research & Development) Defence Research and Development Organisation	scale extended based of Commission. That is Circum Service making Commission. Consequence of Commission Commission.	mstances in which the Union Publice Commission is to be consulted ingrecruitment (13) The sultation with Union Public Service

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 2. Assistant (Hindi)	66* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants's upto five years accordance with the instructions or order issued by the Central Government.
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunacha Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spit district and Pangi sub-division of Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).
				(8)	(9)

Essential:

(8) Not applicable

Two years for direct recruits.

Master's degree of a recognized university in English/ Hindi with Hindi/English as compulsory/elective subject at the degee level:

(7)

OR

Master's degreee of a recognized University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level:

OR.

Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi and English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi English and vice versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertakings.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled

(7)

Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

(11)

By direct recruitment failing which by deputation

Deputation: —Officers under Central Government:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or
- (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5200--20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-1 OR equivalent in the parent cadre or department and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 1: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (The date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)(12)Consultation with Union Public Service Group 'B' Departmental Promotion Committee Commission not necessary. (for consideration confirmation) consisting of: 1. Chief Controller (Research & Development) Defence Research and Development —Chairman Organisation 2 A Director from Defence Research _Member **Development Organisation** 3. Under Secretary, Min. of Defence, ___Member Defence (Research & Development)

[F. No. DHRD/76239/RRs/HINDI/C/P/02]

S. D. BHASOR, Under Secy.

. . . .

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

का.नि.आ. 35.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, केंटीन संवर्ग (समूह 'ग' तथा समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1999, जहां तक इनका संबंध केंटीन परिचर पदों से है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, चिकित्सा परिचर भर्ती नियम, 1999 जहां तक इनका संबंध चिकित्सा परिचर पदों से है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, चिकित्सा परिचर, प्रयोगशाला सेवाएं (समूह 'ग' तथा समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 2000 जहां तक इनका संबंध परिचर प्रयोगशाला सेवा–क, ख एवं ग पदों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर औद्योगिक) पद भर्ती नियमों, 2005 से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' पदों की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आरंभिक गठन.—इन नियमों के आरंभ होने पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में निम्नलिखित पदों के पदधारी परिचर बहु-कौशल प्राप्त-III (ए एम एस-III) के रूप में पुन: अभिहित होंगे :--
 - (i) कार्यालय परिचर
 - (ii) कॉस्मेटिक परिचर
 - (iii) सुरक्षा परिचर
 - (iv) उद्यान परिचर
 - (v) कैंटीन परिचर
 - (vi) चिकित्सा परिचर
 - (vii) परिचर प्रयोगशाला सेवा -क, ख एवं ग
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, प्रोन्नित, आयु-सीमा और अर्हताएं .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु~सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

समतुल्य

			अनुसूची	*		
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ए एम एस-Ш	3397* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड−1, 5200—20200 रु. +1800 रु ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों /आ के अनुसार सरकारी सेवकों को आ में पाँच वर्ष की छूट दी जा सकती है अ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है	
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधार्त करने के लिए निर्णायक तारीख भा में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त क की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंति तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाच प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालें त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज् के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले एवं चम् जिले के पांगी उपमंडल, अंदमान अं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उ पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति व दशा में प्रत्येक मामले में आयु सीय अवधारित करने के लिए निर्णाय तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिन तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेज को कहा गया है।	
सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए		क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों		परिवीक्षा की अवधि,		
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं		के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		यदि कोई हो		
(7)			(8)		(9)	
ावश्यक :		लागू नहीं होता		दो वर्ष		

भती की पद्धिति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रेन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शत प्रतिशत सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्निति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नित समिति-III	लागू नहीं होता ।
 (i) संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रमुख (ii) संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी (iii) अन्य प्रयोगशाला/स्थापना अथवा मुख्यालय से संबंधित स्थापना/प्रयोगशाला के सदस्यों की पंक्ति समतुल्य अथवा ऊपर का कोई अधिकारी 	—-अध्यक्ष —-सदस्य —-सदस्य

[फा. सं. मासंविनि/७६२५७/एमएससी/आरआर/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2013

- S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Canteen Cadre (Group 'C' and Group 'D') posts Recruitment Rules, 1999 in so far as it concerns Centeen Attendant posts, Defence Research and Devleopment Organisation, Ministry of Defence, Medical Attendant, Recruitment rules, 1999 in so far as it concerns Medical Attendant posts, Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Attendant, Laboratory Services (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 2000 in so far as it concerns the posts of Attendant Laboratory Service-A, B and C posts and Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Non-Industrial) post Recruitment Rules, 2005 except as resepct things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Initial Constitution.— The incumbents of the following posts in the Defence Research and Development Organization at the commencement of these rules shall be re-designated as Attendant Multi-Skilled-III (AMS-III):—
 - (i) Office Attendant
 - (ii) Cosmetic Attendant
 - (iii) Security Attendant
 - (iv) Garden Attendant
 - (v) Canteen Attendant
 - (vi) Medical Attendant
 - (vii) Attendant Laboratory Service -A, B and C
 - 3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or scales of pay:—The number of the said posts, their

classification and pay band and grade pay or scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

- 4. Method of recruitment, promotion, age limit and qualifications.—The Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
 - 5. Disqualification.—No person—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AMS-III	3397* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 + Grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age relaxable for Govt. servants upto five years in accordance with instructions/orders issued by the Central Government and further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

			(6)	
			Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamber District of Himachal Prades! Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).	
			In the case of recruitment mad through the Employmen Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	
Educational and other	Whether age and	educational	Devied of and the to	
qualification required for direct recruits	qualifications predirect recruits will case of promotees	scribed for apply in the	Period of probation, if any	
(7)	(8)		(9)	
Essential: 10th Class pass or equivalent from a recognized Board or Industrial Training Institute pass.	Not Applicable		Two years	
Method of recruitment: Whet recruitment or by promotion or absorption and percentage of the to be filled by various methods	by deputation or	In case of recruitme grades from which made	nt by promotion or deputation or absorption promotion or deputation or absorption to be	
(10)			(11)	
100% direct recruitment			Not applicable	
If a Departmental Promotion Comwhat is its composition	mittee exists,		es in which Union Public Service Commission ulted in making recruitment.	
(12)		(13)		
Departmental Promotion Commi		Not applicable		
(i) Head of the concerned Estab Laboratory(ii) Two senior officers of the co		—Chairman	••	
ment or Laboratory iii) An officer from another Laborator Headquarters equivathe rank of the members of the	oratory/Establish- lent to or above	—Member		
Laboratory/Establishment		Member		
		IF. No. DF	IRD/76257/Multi Skilled Cadre/RRs/C/P/011	

[F. No. DHRD/76257/Multi Skilled Cadre/RRs/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 121

नई दिल्ली, मई 12—मई 18, 2013, शनिवार/वैशाख 22—वैशाख 28, 1935

No. 12|

NEW DELHI, MAY 12-MAY 18, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 22-VAISAKHA 28, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (भंडार) पद, भर्ती नियम, 1998 को जहां तक उनका संबंध, भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख' पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (भंडार) पदों की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ा. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद, भर्ती नियम, 2013 है।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । ़
- 2. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—पद का नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से र संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(165)

1828 GI/2013

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि क अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए को कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय मरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के त्र्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

			अनुसूची				
ज्दका नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
ंभंडार सहायक 'ख'	200* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु.5200— 20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2400	अचयन	लागू नहीं होता		
मोधे भर्ती किए गोक्षिक और उ		लिए अपेक्षित	के लिए विहित आर् अहंताएं प्रोन्नत व्यक्ति लागू होंगी	पु और शैक्षिक	तयों परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
	(7)		(8)		(9)		
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होत	11	लागू नहीं होता		
प्रतिनियुक्ति अ	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता				यवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां नियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा		
	(10)			(11)			
(i) 75% प्रोन्ति द्वारा (ii) वेतन बैंड-। में 5200-20200 वेतनमान एवं 1900 रु. ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित भंडार सहायक 'क' में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के अधार पर, 25% प्रोन्ति द्वारा ऐसा न होने पर प्रोन्तित द्वारा।			एसा भंड	-1 में 5200-20 ार सहायक 'क'	200 वेतनमान एवं 1900 रु. ग्रेंड वेतन में जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के भाठ वर्ष तक नियमित सेवा की हो		

(10)

परन्तु यदि किसी वर्ष संबंधित विभागीय प्रोन्तित सिमिति II समूह में भंडार सहायक 'ख'की श्रेणी में भरी जाने वाली कुल रिक्तियां 8 से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। (11)

परन्तु इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को भंडार सहायक 'क' का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए भंडार सहायक 'ख' के पद पर प्रोन्नित के लिए संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति-॥ समूह में पात्रता सेवा पांच वर्ष ही रहेगी।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

विभागीय प्रोन्नित समिति II का संघटन लागू नहीं होता ।

1. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रमुख —अध्यक्ष

- का प्रमुख

 2. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का कोई अधिकारी
 विरुट प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-11 से अनुधिक पाँक्त
- का कोई अधिकारी या समतुल्य अधिकारी

 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-। अथवा वैज्ञानिक
 'सी' के पद से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी जिसका
 संबंधित डीपीसी-।। की संघटक स्थापना(ओं)/प्रयोगशाला(ओं)
 से संबंध न हो।

----सदस्य

---सदस्य

(1)(2) (3) (4) (5)(6) भंडार 235* (2013) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-1, लागू नहीं होता 18 से 27 वर्ष के बीच सहायक *कार्यभार के आधार सेवा समूह 'ग', रु. 5200- --(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों ''क' पर परिवर्तन किया जा अराजपत्रित, 20200 अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सकता है। अनुसचिवीय एवं ग्रेड वेतन सेवकों को साधारण अश्यर्थियों की 1900 ফ. दशा में चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडे वर्गी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पैतालिस वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख इन पदों के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

[फा. सं. मासंविनि/76257/भण्डार सहायक 'क' एवं 'ख'/आरआर/सी/पी/02] एस. डी. भसोर, अवर सचिव

[PART II—SEC. 4]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 11(अ) दिनांक 29 मई, 1998 में प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd April, 2013

- S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence, Research and Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Stores) posts Recruitment Rules, 1998, in so for as they relate to the post of Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B' expecpt as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' (Storcs) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') post, Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Name of post, number, classification and pay band and grade pay/pay scale .—The name of post, number, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

化分四分对非常的 不可不 医医骨外部 化物质放射器 医抗原毒素 医医毒素 医医疗性 医医疗性 医人名英格兰 医人名英格兰姓氏

- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

		•	SCHEDULE			
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Store Assistant 'B'.	200* (2013) *Subject to variation de- pendent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted Ministerial	Pay Band-1: Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruitments			qualificat	age and educational ions prescribed for ruits will apply in the omotees	Period of probation, if any	
(7)			(8) (9)			
Not app	Not applicable			Not applicable Not applicab		
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods					or deputation or absorption, eputation or absorption to be	
***************************************	(10)		(11)			
(i) 75% by promotion. (ii) 25% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Store Assistant 'A' in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 with five years' regular service in the grade, failing which by promotion.			grade pay of Re in the grade ren Provided that th Store Assistant 'I the post of Stor	s. 1900 in PB-1 with dered after appointment e eligibility service B'shall continue to be e Assistant 'A' on repromotion Committe	pay of Rs. 5200-20200 plus h eight years regular service tent thereto on regular basis. for promotion to the post of five years for persons holding gular basis in the respective ee-Il Group on the date of	

(10)

(11)

Provided that if the total number of Vacancies to be filled in a year in the grade of Store Assistant 'B' in the respective Departmental Promotion Committee II Group is less than 8, no Limited Departmental Competitive Examination shall be held for the group in that year.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment composition (12)(13)Composition of Departmental Promotion Committee II Not applicable. 1. Head of the Concerned Establishment or Laboratory -Chairman 2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent Officer of the concerned Establishment or Laboratory -Member 3. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientists 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment(s)/Laboratory (ies) of the respective DPC-II Group. -Member

(3) (I) (2)(4) (5) (6) Between 18 and 27 years. 2. Store 235* (2013) General Central Pay Band-1: Not Service, Group Rs. 5200---(Relaxable for Government servants Assistant *Subject to applicable variation de-'C', Non-20200 plus upto forty years in the case ٠A' of general candidates and upto pendent on Gazetted Grade Pay workload Ministerial Rs. 1900 forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued the Central bγ Government). Note: The crucial date for deter-

mination the age-limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of applications from as specified in the advertisement of Defence Research and Development Organisation for the posts.

(7)	(8)	(9)
Essential:	Not applicable	Two years
12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University.		
Skill test on Computer:		
English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes.		• •
(35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).		• .
Time - 10 minutes.	-	
•		
(10)		(11)
By direct recruitment		Not applicable
(12)		(13)
Composition of Departmental Promotion Committee (for considering		Not necessary.
confirmation)		
1. Head of the Concerned Establishment or Laboratory	—Chairman	
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	Member	
3 An Officer from another Laboratory/Establishment or HQrs equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment	Member	
Lacorator y Establishmone		

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant 'A' & 'B'/ RRs/C/P/02]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Foot Note: The previous rules were published in the Official Gazette vide S.R.O. No. 11E dated the 29th May, 1998.

HRAGEN USINA The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 6]

नई दिल्ली, मार्च 3—मार्च 9, 2013, शनिवार/फाल्गुन 12—फाल्गुन 18, 1934

No. 6| NEW D

NEW DELHI, MARCH 3—MARCH 9, 2013, SATURDAY/PHALGUNA 12—PHALGUNA 18, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) पद भर्ती नियम, 2010, जहां तक इसका संबंध प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) प्रद भर्ती नियम, 2013 हैं।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण व वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

758 GI/2013

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड या ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों व लिए आयु-सीमा
(1) प्रशासनिक तहायक 'ए'	(2) 511* (2013) *कार्यभार	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	(4) ਕੇਰਜ ਕੈਂड-1, 5200—20200 ਨ.	. (5) अचयन	(6) 18-27 বর্ষ
	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	9210 —20200 ਵ. + ग्रेड ਕੇਰਜ 1900 ਵ.		टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों व अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारा अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक अनुसूचि जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए ऊपर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख पदों के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपन्न प्राप्ति करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।	हां, जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है	दो वर्ष

(7)

कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक : अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की दर से हिन्दी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की दर से (निर्धारित समय- 10 मिनट) (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन्स पर (10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के बराबर हैं।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नित/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

- (i) विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, दस प्रतिशंत विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति
- (ii) पाँच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रू. ग्रेड वेतन वाले पद में तीन साल की नियमित सेवा की हो, चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्ति :

(i) 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अहर्ताएं हो, दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रोन्नित द्वारा ।

टिप्पण 1: परीक्षा के लिए योग्यता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु) टिप्पण 2: यदि उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी परीक्षा में योग्य पाये जाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से पहले विचार हो जाये।

(ii) पांच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन के पद में तीन साल की नियमित सेवा की हो, चयन के आधार पर प्रोन्नित द्वारा और जिनके पास सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 🏒

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्ति समिति (पुष्टि और प्रोन्ति के लिए) :—

लागू नहीं होता।

- संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान
- —अध्यक्ष
- 2 संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी
- ---सदस्य
- 3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर के रैंक का हो

—सदस्य

[मिसिल सं. डीएचआरडी/76257/आर आर/प्रशासन/सी/पी/03] एस. डी. भसौर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 15th February, 2013

- S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, the Department of Defence research and Development, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Age-limit for direct recrui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administ- rative Assistant 'A'	511* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non- selection	Between 18 and 27 year Note I. Relaxable for Government Servants upto 40 years in the case of generocandidates and upper a

(6)relaxable for Scheduled time to time. Note 2.—The crucial date advertisement of the posts. Period of probation, if any (9)Two years

Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Ex-serviceman, etc as per orders of Central Government issued from

for determination of the agelimit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application from as specified in the

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

(7)

(8)

Essential:

1. 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University.

Skill test norms on Computer:

English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes (Time allowed -10 minutes.)

(35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word),

yes, to the extent indicated on Col-11

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Eighty five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion.

(i) Ten percent by promotion through Departmental examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination.

Promotion:

(i) 10% by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.

758 GI/13-2

(10)

(11)

(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employee who have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800

Note 1: The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes). Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800 and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee for consideration promotion and for confirmation consisting of:—

Not applicable.

1. Head of the concerned Establishement or Laboratory

—Chairman

2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory

---Members

 An Officer from another Laboratory/ Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment

---Member

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03]

S.D. BHASOR, Under Secv.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 13.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैंडेट कोर, अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैंडेट कोर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर नियम, 1948 में,-
- (i) नियम 5 के खंड (ख) में, '24 वर्ष की आयु के भीतर' शब्दों और अंकों के स्थान पर "26 वर्ष की आयु के भीतर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) नियम 12 के उपनियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - (1) "इन नियमों के भाग 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेना, नौसेना और वायु सेना राष्ट्रीय कैंडेट कोर के सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग में अभ्यावेदन के लिए स्वीकृत प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालाविध के लिए अभ्यावेशित किया जाएगा।"

HRA 2543 Che Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 23]

नई दिल्ली, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2012, शनिवार/कार्तिक 13—कार्तिक 19, 1934

No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2012, SATURDAY/KARTIKA 13—KARTIKA 19, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 94.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासिनक और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (भंडार) पद भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में स्टोर्स पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार संबंधी समृह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिंदिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन ∕ वेतनमान .—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेनन बैंड और ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4075 GI/2012

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
 ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I 	24* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	
सीधे भर्ती किए जाने व अपेक्षित शैक्षिक और व	ाले व्यक्तियों के लि अन्य अर्हताएं	के f अर्हत	। भर्ती किए जाने वात लेए विहित आयु औ ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों ताएं होंगी या नहीं	र शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)			(8))	(9)	
लागू नही	ं होता		लागू नहीं होता		शून्य	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्निति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(10)			(11)			
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			में ऐसा वरिष्ठ भंड आधार पर उस पद	ार अधिकारी श्रेणी– (पर नियुक्ति के पः	00 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान 2 जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित रचात् इस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	
	•		टिप्पण 1 : जहाँ पात्रता सेवा पूरी क	ऐसे कनिष्ठ व्यवि र ली है, प्रोन्नति क	तयों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ हे लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे	

(11)

ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख़ जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (I) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या
- (II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :--
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री.
 - (ii) तकनीकी भंडारों की खरीद तथा मंगाने और उनके रखरखाव व लेखा रखने में छह वर्षों का अनुभव रखता हो ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रितिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) । प्रितिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रितिनयुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए ! जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहाँ वह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना				भर्ती करने में वि आयोग से परामर्श वि	न परिस्थितियों में संघ लोक सेव कया जाएगा	
	(12)			(13)		
	र्ह 'क' विभागीय ोन्नति पर विचार		···		प्रतिनियुक्ति पर कि संघ लोक सेवा आय	सी अधिकारी की नियुक्ति करते समय ोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1.	मुख्य नियंत्रक, रा और विकास संगट	क्षा एवं अनुसंधान, उन	रक्षा अनुसंधान	—अध्यक्ष		
2.	निदेशक, कार्मिक संसाधान विकास और विकास संगट	निदेशालय अथवा निदेशालय, रक्षा अ उन	निदेशक मानव नुसंधान	—-सदस्य		
3.		वा निदेशक अथवा pत वित्त (अनुसंधा	उप वित्तीय	—सदस्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ज्येष्ठ भंडार कारी श्रेणी-II	48* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय		चयन	लागू नहीं होता
	(7)			(8)		(0)
	लागू नहीं	होता		—————————————————————————————————————	****	(9) दो वर्ष
			···		31 (4)	પાલવ
	(10)	1100		-w	(11)	
	तं द्वारा जिसके न हो सके अंतर्गत अल्पक			में ऐसा भंडार आ पद पर नियुक्ति व	ड-2, 9300-34800 धकारी जिसने मूल क हे पश्चात् इस श्रेणी मे	रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान जडर/विभाग में नियमित आधार पर उस ं तीन वर्ष सेवा की हो। मों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/
				पात्रता सेवा पूरी क ज्येष्ठ व्यक्तियों के द्वारा की गई ऐसी अधिक से या दो व ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति	तर ली है, प्रोन्नति के f संबंध में भी विचार ि अर्हक/पात्रता सेवा, व वर्ष से, इनमें से जो र्भ तयों सहित, जिन्होंने ऐ च्वतर श्रेणी में प्रोन्नित	लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से ो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने सी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ा के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध
****				के लिए 1 जनवरी सिफारिशों पर आध गई किसी अधिका	, 2006 या वह तारीख गरित पुनरीक्षित वेतन ारी द्वारा नियमित आध	हिंक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन व्र जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गर पर की गई सेवा वेतन आयोग की ान/वेतनमान में की गई सेवा समझी

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार/राजय सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्थ सरकारी या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी या

- (क) (i) जो मूल काडर⁄विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :--
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री,
 - (ii) जो पास तकनीकी भंडार की खरीद या मँगाने और उनके रखरखव या लेखे का चार वर्ष का अनुभव हो ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए । जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उत्रयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए):—

- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य
- ---सदस्य

अध्यक्ष

- मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान, और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
- निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक मानव संसाधान विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

—सदस्य

आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । (ii) सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय या किसी प्रतिष्ठित			लागू न	हीं होता	दो वर्ष
(7)		(8)	(9)	
3. भंडार अधिकारी	180* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	•	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किर गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकार सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की ज सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रक्षा मंत्रालय य	ासचिव (अनुसंधान ए ा निदेशक या उप वि (अनुसंधान और विव	त्तीय सलाहकार,	—सदस्य		
संसाधान विका और विकास स		भ <u>नु</u> संधान	—-सदस्य		
 मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान विक 	, अनुसंधान, और वि गस संगठन	कास रक्षा	—अध्यक्ष		
समूह 'क' विभाग (पुष्टि के संबंध में	ो <mark>य प्रोन्नित समिति</mark> विचार करने के लिए	· :)			
रक्षा मंत्रालय र एकीकृत वित्त रक्षा मंत्रालय	रक्षा मंत्रालय या निदेशक उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास विकास), रक्षा मंत्रालय				

(7)

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हे।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों को लेखाबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अध्यिधियों की दशा में तब शिधिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यिधियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

(11)

65% प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 10% प्रतिनियुक्ति के द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती के द्वारा एवं 25% सीधी भर्ती के द्वारा

प्रोन्निति : वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ भंडार सहायक जिसने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्थ सरकारी या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी या

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी

(11)

प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।)

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

(12)				(1:	3)
	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)				लक संविदा सहित) किसी अधिकारी क इ सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
 मुख्य नियंत्रव अनुसंधान वि 	न, (रक्षा अनुसंधान), कास संगठन	रक्षा	—अध्यक्ष		The second of th
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन		—सदस्य			
मंत्रालय या स	(रक्षा अनुसंधान और हायक वित्त सलाहकार वकास), रक्षा मंत्रालय	, एकीकृतवित्त	—सदस्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. ज्येष्ठ भंडार सहायक	* 300 (2012) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख',	,	चयन 00 रु.	लागू नहीं होता
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	+ ਸ਼ੇਤ ਕੇਰਜ 4200 ਨ.		
	7				
(7) लागू नहीं होता			·	(8)	(9)
		लागू नहीं होता		दो वर्ष	

(10)

चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 80% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 20% (एलडीसीई)

टिप्पण : परन्तु यदि संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में ज्येष्ठ भंडार सहायक की श्रेणी में एक वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी ।

(11)

प्रोन्नित : वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसा भंडार सहायक 'ख' जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को भंडार सहायक 'ख' के पद को धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए पात्रता सेवा पाँच वर्ष होगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा :

सीमित प्रतियोगी परीक्षा वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसे भंडार सहायक 'ख' तक सीमित हैं जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)

(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) विभागीय प्रोन्नति समिति

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति I.
- समूह में भाग लेने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में से किसी एक प्रयोगशाला या स्थापन का निदेशक/प्रधान

संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति—II समूह में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं/स्थापनों से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी—II

ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' जिसका संबंध संबंधित विभागीय प्रोत्रति समिति—II समूह की किसी संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से न हो

-सदस्य

---अध्यक्ष

-सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/भंडार कैडर/सी/पी/03] संगीता राव, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 18th October, 2012

- S.R.O. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993 and Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Stores) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Stores posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Name of the posts, Number, Classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of the posts, number, their classification and the pay band and grade pay, scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualification,.—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid..
 - 5. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by other and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of	Number of	Classification	Pay band and	Whether	Age limit for direct
post	post		grade pay/ pay scale	selection post or non- selection post	recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Stores Officer Grade-I		General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus grade pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational Period of probation, i qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		
(7)				(8)	(9)
Not applicable			Not applicable		Nil

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

By promotion failing which by deputation.

(11)

Promotion: Senior Store Officer Grade-II in the scale of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to first January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation:

Officers under the Central or State Government or Union Territory:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualification and experience;
 - (i) degree of a recognised university.
 - (ii) possessing six year's experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First

January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has

been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service composition Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Consultation with Union Public Service promotion):--Commission necessary while appointing an 1. Chief Controller, Research and Development, Defence -Chairman officer on deputation. Research and Development Organisation 2. Director, Directorate of personnel or Director, Directorate —Member of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation Director or Deputy Secretary (Research and Development) — Member Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence (1)(2)(3)(4)(5)(6) 2.Senior Stores 48* (2012) General Central Pay Band-3, Selection Not applicable Officer Grade-II *(Subject to Service, Group 'A', Rs. 15600variation Gazetted, 39100 plus dependent Ministerial grade pay of on work load.) Rs. 5400 (7)(8)(9) Not applicable Not applicable Two years (10)(11)By promotion failing which by deputation Promotion: Store Officer in the scale of pay of Rs. 9300— (Including short term contract). 34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department. Note I: Where juniors who have completed their qualifying or, eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the

(11)

date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organization. Or

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department, and
- (b) possessing following educational qualification and experience:—
- (i) degree of a recognised university.
- (ii) possessing four year's experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each
	occasion.

		(12)				
1.	Chairman	or Member of U	nion Public Service C	ommission	—Chairman	
2. (Chief Cor Research	itroller, research and Developmei	and Development, De at Organisation	efence	—Member	
3.	Director <u>I</u>	Directorate of Per	sonnel or Director, D	irectorate	Member	
(of Human	Resource Devel	opment, Defence Res	search and	Monte	
]	Developn	nent Organisation	1			
4.]	Director o	r Deputy Secretar	ry (Research and Deve	elopment)	—Member	
I	Ministry o	of Defence or Dir	ector or Deputy Fina	ncial		
2	Advisor, I	ntegrated Financ	e (Research and Dev	elopment),		
		of Defence	_			
Grot	up 'A' Deț	partmental prom	otion committee			
		ng confirmation		_		
l. (December	uroller, Research	and Development, De	efence	—Chairman	
2. [Director D	and Developmen	t Organisation sonnel or Director, Di			
	of Human	Resource Davale	opment, Defence Res	rectorate	Member	
Ĺ)evelonm	ent Organisation	opinent, Defence Res	earcn and		
			y (Research and Deve	lonmant)	M	
N	Linistry o	f Defence or Dire	ector or Deputy Finar	iopinem <i>)</i> icial	—Member	
Α	dvisor, Ir	itegrated Finance	e (Research and Deve	elopment)		
N	linistry o	f Defence	(**************************************	oropinom),		
				·		
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Sto	res Office	er 180*(2012)	General Central	Pay Band-2,	Selection	Not exceeding Thirty years.
		*(Subject to	Service, Group 'B',	Rs.9300—		(Relaxable for Government servant'
		variation	Gazetted,	34800 plus		upto five years in accordance with
		dependent on work load.)	Ministerial	grade pay of		the instructions or order issued by
		on work load.)		Rs. 4600		the Central Government).
						Note: The crucial date for determining
						the age limit shall be the closing date
						for receipt of applications from
						candidate in India (and not the
						closing date prescribed for those in
						Assam, Meghalaya, Arunacha
						Pradesh, Mizoram, Manipur
						Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh
						Division of Jammu and Kashmir State
					•	Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of
						Himachal Pradesh, Andaman and
						Nicobar Islands or Lakshadweep).
						The state of Editorial weep).
	(7)				(8)	9)
Essent				No	ot applicable	Two years
		ecognised unive				- 3
i) Thr	ee years' e	experience in Gove	emment or Semi Gove	mment		
ffice	or in a priv	vate concern of re	pute, in indenting pur			
nainta		tachniant Stance				

(7)

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

(11)

Sixty five percent by promotion failing which by deputation Promotion: Senior Stores Assistant in the scale of pay of (Including short-term contract) failing which by direct recruitment and twenty five percent by direct recruitment.

(Including short term contract), Ten percent by deputation Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or, eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January Two Thousand Six or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission.

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation.

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or
- (ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 in pay band-2 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent Cadre or department.; and
- (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.
- (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(11)

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

Note: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January Two Thousand Six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation consisting of):—

—Chairman

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

- Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation
- Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate —Member of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation
- Under Secretary (Defence Research and Development) —Member Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence

Integrated Finance (Research and Development),
Ministry of Defence

(1)(2)(3)(4)(5)(6)4. Senior 300*(2012) General Central Pay Band-2, Selection Not applicable Store *(Subject to Service, Group 'B'. Rs. 9300-Assistant variation Gazetted, 34800 plus dependent Ministerial grade pay on workload.) of Rs. 4200

(7) (8) (9)

Not applicable Not applicable Two years

(10)

By promotion: Eighty per cent by promotion through selection and Twenty per cent by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).

Note: Provided that if the total number of vacancies to

Promotion: Store Assistant 'B' in the scale of Pay of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

(10)

be filled in a year in the grade of Senior Stores Assistant in the respective Departmental Promotion II Group is less than eight, no Limited Departmental Competition Examination shall be held for the Group in that year.

(11)

Note 1: The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Store Asstt. 'B' on the date of notification of this rule shall be five years.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January, Two Thousand Six or date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Limited Departmental Competitive Examination: Departmental Competitive Examination for promotion is limited to Store Assistant 'B' in the pay of Rs. 5200—20200 with

grade pay of Rs. 2400 in PB-I who have completed minimum ten years of regular service in the grade rendered after

appointment thereto on regular basis.

Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—

(12)

(13)

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

- Director or Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group
- Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee II Group.
- Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' Member who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group.

—Members

—Chairman

[F. No. DHRD/16342/RRs/Stores Cadre/C/P/03]

SANGEETA RAO, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:--
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रखा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. का.नि.आ. सं. 22

अनुसूची के कॉलम नं. 2 में

के लिए

''3878*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ''

पढ़ा जाए

''17751*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ''

नोट : दर्शाए गए पदों में लेखापरीक्षक एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षक की संयुक्त संख्या बल सम्मिलित है जिसमें अधिकतम 80% स्टाफ का परिचालन वरिष्ठ लेखापरीक्षक के ग्रेड में होगा ।

[फा. सं. एफ 9(1)/सी/2009]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

(FINANCE DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th October, 2012

- S.R.O. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the recruitment rules to the posts of Auditor in the Defence Accounts Department, 2009.
- 1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. SRO No. 22

In column No. 2 of the schedule

For

"3878*(2009) * Subject to variation dependent on workload"

Read

"17751* (2010) * Subject to variation dependent on workload"

Note: Number of posts indicated include the combined strength of Auditor and Sr. Auditor with a maximum of 80% to be operated in Sr. Auditor grade.

[F. No. F. 9(1)/C/2009]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. & Addl. FA

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (सुरक्षा) अराजपित्रत पद भर्ती नियम, 1998, जहां तक इसका संबंध सुरक्षा सहायक ग्रेड 'क', सुरक्षा सहायक 'ख' तथा सुरक्षा सहायक 'ग' के पदों से है, का उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (सुरक्षा) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों का नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनसे जुड़े वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. पदों की भर्ती, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति.—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा सहायक 'ग'	40* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु अईताएं प्रोन्नत व्यवि में लागू होंगी या नहीं	और शैक्षिक तयों की दशा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)		(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागृ	् नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नित ह अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतिय भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	_	प्रतिनियुक्ति अथवा उ अथवा प्रतिनियुक्ति ः	प्तमावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, अथवा आमेलन किया जाएगा
(10)		(11)	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे र 2400 रु. ग्रेड	सुरक्षा सहायक 'ख' f	जन्होंने 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-1+ पांच वर्ष की सेवा नियमित सेवा की हो।
	जाता है, जिन्ह व्यक्तियों के स् जबिक उनके द्व या दो वर्ष, इनम् लिए अपने ऐसे	ोंने अपनी अईक सेव मंबंध में भी प्रोन्नति के इस की गई ऐसी अईब में से जो भी कम हो, उ कनिष्ठ व्यक्तियों के	ों के संबंध में, प्रोन्नित के लिए विचार किय हा पूरी कर ली है, वहां उनसे विरष्ठ ऐसे हे लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब ह सेवा, अपेक्षित सेवा, अर्हक सेवा के आधे और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा योग्यता परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में वि आयोग से परामर्श ि	कन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा किया जाएगा
(12)			13)
वेभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने	के लिए)		नहीं होता
 संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समू में भाग लेने वाली रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठ की प्रयोगशालाएं अथवा स्थापना का कोई एक निदेश अथवा प्रमुख 	ह —अध्यक्ष ज	&	
संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समू में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II से कम का अधिकारी न हो अथवा उसके समतुल्य हो			
. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I की पंक्ति से अन का अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य जो संबंधि विभागीय प्रोत्रति समिति-II समूह की स्थापना/प्रयोगश के किसी गठन से संबंधित न हो ।	धत		

2. संबद्ध स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी

—सदस्य

 अन्य प्रयोगशाला/स्थापन या मुख्यालय समतुल्य से कोई अधिकारी या संबंध प्रयोगशाला/स्थापना के सदस्यों की

—सदस्य

पंक्ति से ऊपर का अधिकारी

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आरआर/सुरक्षा संवर्ग/सी/पी/01]

संगीता राव, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 15(अ), तारीख 29 मई, 1988 के द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi, the 31st October, 2012

- S.R.O. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment relating to the post of Security Assistant 'C', Security Assistant 'B' and Security Assistant 'A' in the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development Organisation, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Name of post, number, classification, pay band and grade pay/pay scale.—The name of post, number, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security Assistant 'C'	40* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200— 20200 plus grade pay of Rs. 2800	Selection	Not applicable
Educational and for direct recrui	d other qualifica ts	tions required	qualific direct re	r age and educat ations prescribe cruits will apply promotees	d for
(7)				(8)	(9)
Not app	licable		No	t applicable	Not applicable
by promotion or of the vacancies	by deputation of to be filled by	ner by direct recruitme r absorption and perce various methods		rom which pron	promotion or deputation or absorption notion or deputation or absorption
(10)				(11)	
By prom	otion		service r	on: Security As endered in the p de Pay of Rs. 240	ssistant 'B' with five years regular ost in Pay Band-l, Rs. 5200-20200 0.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists; what is its composition?

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Departmental Promotion Committee (for considering promotion):—

(12)

(13) Not applicable.

- Director or Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group
- 2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group
- An officer of the rank not below Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/ Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group

—Member

—Chairman

---Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Security	55* (2012) variation dependent on work load.	General Central Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, 20200 plus grade pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(10)	(11)	

By promotion

Promotion:—Security Assistant 'A' with eight years regular service rendered in the post in Pay Band-l, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

				along	ation period for swith their junion fying or eligibility	promotion to the next higher grades who have already completed such service.
		(12)				(13)
	Departm promotio	ental Promotion	n Committee (for cons	sidering		Not applicable.
1.	<u> </u>		—Chai	man		
2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group			—Mem	ber		
3.	•			—Mem	ber	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secu Assi	arity stant 'A'	ity 65*(2012) General Central		Pay Band-1, Not applicable Rs.5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900		Between 18 and 27 years. The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of Defence Research and Development Organisation for the posts.
	144.	(7)			(8)	(9)
i) 12 or Ur orce	th class pa	ss or equivalent	from a recognised Bo	oard Not applicable		Two years. The direct recruits will have to successfully

	(10)	(11)		
By —	Direct Recruitment.	Nota	pplicable	
	(12)			
		***	(13)	
	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—		Not applicable.	
l.	Head of the concerned Establishment or Laboratory	Chairman		
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	Member		
3.	An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the member of the concerned Laboratory/Establishment	—Member		

[F. No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/C/P/01]

SANGEETA RAO, Under Secv.

Note: The principal rules was published vide numer S.R.O. 15(E) dated the 29the May 1998.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 97.—राष्ट्रपित, के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998, को जहाँ तक उसका संबंध प्रशासिनक अधीक्षक, प्रशासिनक सहायक 'सी', प्रशासिनक सहायक 'बी', और प्रशासिनक सहायक 'ए' के पदों से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, प्रशासिनक अधिकारी पद भर्ती नियम, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में प्रशासिनक पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना--ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विर्निदिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अन्य अर्हता.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - निरर्हता.—वह व्यक्ति.—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शि**थिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या			सूची —————	
पद्कागाम्	पदा का सख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
!. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I ग्रेषी-पं भाषे भर्ती किए संपेक्षित शैक्षिक	39* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जा सकता है। जाने वाले व्यक्तियों	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	को f अर्हा		40 वर्ष से अनिधक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जा किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरका सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की उसकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेद प्राप्त करने के लिए नियत की गई ऑतम तारीर होगी। (न कि वह ऑतिम तारीख जो असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल औ स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थिय के लिए विहित की गई है।)
	(7)		7 ((8)	(9)
ii) किसी सरव गणिज्यिक संगट टप्पण 1 : अ गरणों के लिए ववेकानुसार शिं टप्पण 2 : अन् ो लेखबद्ध कि गुस्चित जातिय तब शिथिल व ोक सेवा आयोग	(i) किसी मान्यताप्राप्ता कारी या अर्ध सरकार का में छ वर्ष का प्रश् हिताएं, अन्यथा सुअ जो लेखबद्ध किए थेल की जा सकती गुभव संबंधी अर्हता ए जाएं, संघ लोव हों और अनुसूचित ज की जा सकती हैं जा की यह राय है कि	री संगठन या किसी राासनिक अनुभव प्रहिंत अभ्यर्थियों व जाएं, संघ लोक र है। (अईताएं), उन ब क सेवा आयोग व न–जातियों के अभ्य ब चयन के किसी उनके लिए आरक्षि	प्रतिष्ठित ही दशा में उन होवा आयोग के हारणों के लिए, हे विवेकानुसार हिंथों की दशा प्रक्रम पर संघ हार रिक्तियों को	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष
रने के लिए अप पर्याप्त संख्या	नेक्षित अनुभव रखने में उपलब्ध होने की	ं वाले उन समुदायों ो सम्भावना नहीं है	ं के अभ्यर्थियों ।		
	न्सी मान्यताप्राप्त सं । औद्योगिक या तक				

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

33.34 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (11)

प्रोन्निति : वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण 1.-जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित-शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रितिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। (प्रितिनयुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रितिनयुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), नियमित

आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड वेतन है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13)समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित या पुष्टि पर विचार करने के लिए) सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर किसी मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान और अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा –अध्यक्ष और विकास संगठन आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। 2. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय या — सदस्य निदेशक या उप वित्त सलाहकार, या एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय 3. निदेशक कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन विकास -सदस्य निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (1) (2) (3)(4)(5) (6) 2. ज्येष्ठ 97* (2012) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-3. 35 वर्ष से अनिधक (केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन प्रशासनिक *कार्यभार के सेवा समूह 'क', 15600---39100 হ. जारी किये गए अनुदेशों या आदेशो के अनुसारं अधिकारी आधार पर राजपत्रित, + ग्रेड वेतन सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल श्रेणी-II परिवर्तन किया अनुसचिवीय 5400 ফ. की जा सकती है) जा सकता है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) (7)(8) (9) आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; लागू नहीं होता एक वर्ष (ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

(7)

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कार्मिक प्रबंध या औद्योगिक संबंधी कार्य का डिप्लोमा:
- (ii) वैज्ञानिक या औद्योगिक या तकनीकी संगठन/विभागों में कार्य करने का अनुभव।

(10)

(11)

65 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्कालिक संविदा भी है) के द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. +ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण 1:-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या अर्धसरकारी या स्वशासी संगठन या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बेंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन -4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित-शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति को अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं । वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)(13)समृह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) करना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य —अध्यक्ष मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान -सदस्य और विकास संगठन 3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन –सदस्य विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन निदेशक, या उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) रक्षा —सदस्य मंत्रालय या निदेशक या उप वित्त सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय

(12)

विभागीय प्रोन्न	ते समिति (पुष्टि	पर विचार करने	के लिए)	
			—अध्यक्ष	
कार्मिक निदेशालय देशालय, रक्षा अनु	। या निदेशक, मानः पुसंधान और विकास	त्र संसाधन । संगठन	—सदस्य	
ा उपसचिव (रक्षा वेत्त (अनुसंधान अ	अनुसंधान और वि भौर विकास), रक्षा	कास) या मंत्रालय	—सदस्य	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
297* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सेवा, समूह 'ख',	9300—34800 ₹	चयन	लागू नहीं होता
(7)			(8)	(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	त्रक, अनुसंधान अ कार्मिक निदेशालय देशालय, रक्षा अन् ा उपसचिव (रक्षा वेत्त (अनुसंधान अ (2) 297* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	त्रक, अनुसंधान और विकास कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मान देशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास ा उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और वि वेत्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा (2) (3) 297* (2012) साधारण केन्द्रीय *कार्यभार के सेवा, समूह 'ख', आधार पर राजपत्रित, परिवर्तन किया अनुसचिवीय जा सकता है।	त्रक, अनुसंधान और विकास कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन देशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ा उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) या वेत्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय (2) (3) (4) 297* (2012) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-2, *कार्यभार के सेवा, समूह 'ख', 9300—34800 रु आधार पर राजपत्रित, + ग्रेड वेतन परिवर्तन किया अनुसचिवीय 4600 रु. जा सकता है।	कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन — सदस्य देशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन । उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) या — सदस्य वित (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय (2) (3) (4) (5) 297* (2012) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-2, चयन *कार्यभार के सेवा, समूह 'ख', 9300—34800 रु. आधार पर राजपत्रित, + ग्रेड वेतन परिवर्तन किया अनुसचिवीय 4600 रु. जा सकता है।

प्रोत्रति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नित : वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पण 1 : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नित पर विचार करने के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष होगी।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समुतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री
- (ii) जिनके पास कार्मिक प्रबंध या साधारण प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधाी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नाति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा । जनवरी, 2006 से पहले (जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है.

वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)		संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
 मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 	—अध्यक्ष	
 निदेशक, कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 	—सदस्य	
 अवर सचिव, (रक्षा अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय 	—सदस्य	

						FLAKI II—2EC.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक तहायक	584* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय		चयन	लागू नहीं हो	ता
	(7)			(8)	(9)
***	लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	दो व	त्रर्ष
	(10)		-			
~ <u>`</u>				(11)	

80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा : 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

टिप्पण :परन्तु यदि संबंधित विभागीय प्रोन्नति-2 समूह में ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक की श्रेणी में एक वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या आठ से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी

प्रोन्नित :वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक 'ख' जिस ने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष होगी ।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से वह जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा : सीमित प्रतियोगी परीक्षा वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + या ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसे प्रशासनिक सहायक ख तक सीमित है जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम 10 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)(13)प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक विभागीय प्रोन्नति समिति नहीं है । संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह में अध्यक्ष भाग लेने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में से एक निदेशक/प्रधान संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति~2 समूह में सदस्य भाग लेने वाले प्रयोगशालाओं/स्थापनों से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या जयेष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-2 ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 या वैज्ञानिक ग -सदस्य जिसका संबंध संबंधित विभागीय प्रोत्रति समिति-2 समूह की किसी संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से न हो

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/प्रशासन काडर/सी/पी/02]

संगीता राव, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd October, 2012

- S.R.O. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Group, 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998 in so far they relates to the post of Administrative Superintendent, Administrative Assistant 'C', Administrative Assistant 'B' and Administrative Assistant 'A', Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, Administrative Officer post Recruitment Rules, 1999 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Name of the posts, Number, Classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of the posts, number, their classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.
- 4. Method of recruitment, age limit, and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

- 6. Power to relax.—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	39* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus grade pay of Rs. 6600	Selection	Not exceeding forty years (Relaxation for Governme servants up to five years accordance with the instructions orders issued by Central Governmer Note: The crucial date f determining the age limits shall the closing date for receipt applications from candidates in Ind (and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalay Arunachal Pradesh, Mizoran Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkin Ladakh, Division of Jammu an Kashmir State, Lahaul and Spi district and Pangi sub-division of Chamba district of Himacha Pradesh, Andaman and Nicoba Island or Lakshadweep).
or direct recruits	ducational and other qualifications required or direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		for
(7)				(8)	(9)
ssential :) degree of recog	mised universit	v	Nota	applicable	One year for direct recruits

(ii) six years administration experience in a Government or Semi-Government Organisation or Commercial Organisation of repute.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Diploma in personnel management from a recognised institution.
- (ii) Working experience in Scientific or Industrial or Technical organisation or Departments.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Thirty three point three four per cent by promotion failing which by deputation and Thirty three point three three per cent by deputation and Thirty three point three three per cent by direct recruitment.

Promotion: Senior Administrative Officer Grade-II in the scale of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation:

Officers under the Central or State Governments or Union Territory:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7;

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 1: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has

been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation):—

 Chief Controller (Research and Development), Defence — Chairman Research and Development Organisation

 Director or Deputy Secretary (Research and Development), —Member Ministry of Defence or Director or Deputy Financial

Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence

 Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate — Member of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation. (13)
Consultation with Union Public Service
Commission necessary while making direct
recruitment and apointing an Officer
on deputation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Administrative Officer Grade-II		General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus grade pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding Thirty five years (Relaxation for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(8)

Not applicable

(i) Degree of recognised university.

(7)

Essential:

(ii) Three years experience of administration, establishment and accounts work.

(9)

One year

(12)

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Diploma in personnel management or Industrial relation from a recognised institution.
- (ii) Working experience in Scientific or Industrial or Technical organisation or Departments.

(10)

(11)

Sixty five per cent by promotion failing which by deputation Promotion: Administrative Officer in the scale of Pay of (including short-term contract), Twenty five per cent by deputation (including short-term contract) failing which

Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with three years' service in the grade rendered after appointment by direct recuitment and Ten per cent by direct recruitment. thereto on regular basis in the parent Cadre or Department.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation.

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay of scale of

 $Rs.\,9300\text{-}34800$ plus Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department ; and

(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The (including short-term contract) maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

Note 1: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Consultation with Union Public Service promotions) :-Commission necessary on each occasion. 1. Chairman or Member of Union Public Service -Chairman Commission. 2. Chief Controller, Research and Development, Defence -Member Research and Development Organisation 3. Director Directorate of Personnel or Director, Directorate ---Member of Human Research Development, Defence Research and **Development Organisation** 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development), ---Member Ministry of Defence, or Director or Deputy Finance Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence. II. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), 1. Chief Controller, Research and Development. -Chairman 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate -Member of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation 3. Deputy Secretary or Director from Department of Defence —Member Research and Development or Integrated Finance (Research and Development Ministry of Defence.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
3. Administrative Officer		General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2,	(5) Selection	Not a	pplicable	
(7)				(8)		9)	
Not applicable			Not app	licable		Not applicable	
(10)					(11)	***************************************	<u></u>
Ry Promotion foil	الساحا والمأوان والأراب						

By Promotion failing which by deputation,

Promotion: Senior Administrative Assistant in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

Note I: The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Administrative Superintendent on the date of notification of this rule shall be three years.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation: Officers under the Central Government:—

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs.4200 in PB-2 or equivalent in the parent Cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualification and experience:—
- (i) degree of a recognised University.
- (ii) possessing three years' experience in Personnel Management or General Administration.
- (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration

for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)(13)Group 'B' Gazetted Departmental Promotion Committee Consultation with Union Public Service (for considering promotion).

1. Chief Controller, Defence Research and Development Organisation

—Chairman

Commission not necessary.

- 2. Director, Directorate of personnel or Director, Directorate Member of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation
- Under Secretary, (Defence research and Development), —Member Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence

(1)(2)(3)(4) (5)(6)4. Senior 584* (2012) General Central Pay Band-2. Selection Not applicable Administrative *(Subject to Service, Group 'B', Rs. 9300-Assistant variation Gazetted, 34800 plus dependent Ministerial grade pay on workload.) of Rs. 4200

(7)(8) (9) Not applicable Not applicable Two years (10)

- (i) Eighty percent by promotion.
- (ii) Twenty percent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

Note: Provided that if the total number of vacancies to be filled in a year in the grade of Senior Administrative Assistant in the respective Departmental Promotion II Group is less than eight, no Limited Departmental competition examination shall be held for the Group in that year.

(11)

Promotion: Administrative Assistant 'B' in the scale of Pay of Rs. 5200—20200 plus Grade pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note 1: The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Administrative Assistant 'B' on the date of notification of this rule shall be five years.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January, two thousand six or date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.

Limited Departmental Competitive Examination: Departmental Competitive Examination for promotion is limited to Administrative Assistant 'B' in the pay of Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-l who have completed minimum ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

(12)(13)Group 'B' Departmental Promotion Committee Consultation with Union Public Service (for considering promotion) :— Commission is not necessary. Director/Head of one of Defence Research -Chairman and Development Organisation Laboratories/ Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group Senior Administrative Officer Grade II/Senior ---Member Store Officer Grade II from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. 3. Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' — Member who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group.

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/P/02]

SANGEETA RAO, Under Secy.

HRA SAUST Che Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 22] No. 221 नई दिल्ली, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2011, शनिवार/कार्तिक 15—कार्तिक 21, 1933 NEW DELHI, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2011, SATURDAY/KARTIKA 15—KARTIKA 21, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गांग सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders iss ेश by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2011

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग'
 (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 है।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. **आरम्भिक गठन.**—रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन में निम्नलिखित पद्धारियों को इन नियमों के आरम्भ पर निम्नलिखित रूप में पुन: पदाभिहित किया जाएगा:

- 3. **पदों का नाम, वर्गीकरण और वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड वेतन.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और वेतनमान और ग्रेड वेतन वह होंगे जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—(i) उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- (ii) प्रोन्नित के प्रयोजनार्थ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं को स्रकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागीय प्रोन्नित सिमिति-II समूहों में समुहित किया गया है। प्रत्येक ऐसे समूह को पृथक और स्वतंत्र यूनिट समझा जाएगा और फायरमैन और लीडिंग फायरमैन के पदों के साथ इन नियमों में सिम्मिलित अगले उच्चतर पद पर पात्र कर्मचारियों की प्रोन्नित की जाएगी। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात्, समूह 'घ' के पदों को समाप्त कर दिया गया है अत: विभागीय प्रोन्नित सिमिति-III का गठन नहीं किया जाएगा।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करना, अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टेशन अधिकारी	60* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

75 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा ।

25 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा, फायर इंजन चालक 'ग' के पद से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा (एलडीसीई) जिनके न हो सकने पर फायर इंजन चालक 'ग' के पद पर जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रोन्नित द्वारा।

(11)

प्रोन्नति :

- (1) काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. । ग्रेड वेतन 2000 रु. में, ऐसा लीडिंग फायरमैन, जिसने दस वर्ष नियमित सेवा (तत्कालीन फायरमैन 'क' और फायरमैन 'ख' के रूप में दस वर्ष की सम्मिलित सेवा), की हैं और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—
- (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (10+2 पद्धित के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ।
- (ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्य का पालन करने का सामर्थ्य हो।
- (2) निम्नलिखित पैरामीटरों में विभागीय प्रोन्नित सिमिति-II द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण अर्हित करने के अध्यधीन रहते हुए, काडर/विभाग में, वेतन बैड-!, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2000 रु. में ऐसा लीडिंग फायरमैन, जिसने पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है :—
- (क) शारीरिक प्रशिक्षण, स्क्वायर ड्रिल, अग्नि शमन ड्रिल अग्नि शमन/ड्रिलर पम्प के प्रचालन को संचालित करने के लिए योग्य होना चाहिए।
- (ख) अपने स्टेशन में लगे हुए अग्नि शमन उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन करने में योग्य होना चाहिए ।

स्थानान्तरण: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. में अग्निशमन इंजन चालक 'ग' का पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं:—

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण)।
- (ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो।

प्रोन्नित: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रुपए में अग्नि शमन इंजन चालक 'ख' के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्निलिखित अर्हताएं हैं:—

- (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धित के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) ।
- (ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी कम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हों। शारीरिक योग्यता और

2] \1.

(13)

(11)

श्रमसाध्य कर्त्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

टिप्पण 1: अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, रक्षा अनुसंधान औ विकास संगठन की अपनी-अपनी विभागीय प्रोन्नित समिति-II में तत्काली ज्येष्ठ फायरमैन 'क' और फायरमैन 'ख' पदों परं की गई नियमित सेवा ध गणना में ली जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनब्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक ये पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनर ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेव के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो औ उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेव पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपने परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा

विभागीय प्रोन्नति समिति-II

लागू नहीं होता ।

- संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय सिमिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामिनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निर्देशक/प्रधान
- 2. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय सिमिति-II समूह में सिम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासिनक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो
- 3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नित सिमिति-II समूह में सिम्मिलित किसी प्रयोगशाला/ स्थापन का न हो

—अध्यक्ष

—सदस्य

---सदस्य

(1)(2) (3) (4)(5)(6)लीडिंग 140* (2011) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-। चयन लागू नहीं होता फायरमैन *कार्यभार के सेवा समृह 'ग' 5200-20200 स. आधार पर अराजपत्रित + ग्रेड वेतन परिवर्तन किया गैर औद्योगिक 2000 ফ. जा सकता है। अननुसचिवीय (7) (8) (9) लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (10)

(11)

75 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा ।

25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर. प्रोन्नित द्वारा

प्रोनति :

- (i) चयन के आधार पर, वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में अपनी-अपनी प्रयोगशाला या स्थापन का ऐसा फायरमैन, जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
- (ii) निम्नलिखित काडरों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम

(क) काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1,5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में, ऐसा अग्नि शमन इंजन चालक 'क', जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है। उन्हें अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अग्निशमन से संबंधित साधारण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्त्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो । (ख) जिन्होंने वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में, काडर/विभाग और अपनी-अपनी प्रयोगशाला या स्थापन की परिचर प्रयोगशाला सेवाओं में कार्यालय परिचर, प्रसाधन परिचर, उद्यान परिचर, सुरक्षा परिचर के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) हो। उन्हें अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अग्निशमन से संबंधित साधारण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप-अधिकारो पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो । शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्त्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

}

(12)

विभागीय प्रोन्नित समिति-॥ (पुष्टि के लिए) :—

1. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान

 संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय सिमिति-II समूह में सिम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो

3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नित समिति-🛘 समृह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/ स्थापन का न हो

(13)

लागू नहीं होता।

--अध्यक्ष

----सदस्य

---सदस्य

4002 GIT/11-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फायरमैन,	262* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा ज किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुस साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिधि करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचि जातियों या अनुसूचित जनजातियों, व अभ्यर्थियों की दशा में, शिधिल कर पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण 2: अभ्यर्थियों की दशा में, आर् -सीमा अवधारित करने की निर्णाय तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिर्दि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी
	(7)			(8)	(9)
विद्यालय प्रमा	सरकार/राज्य सरकारों द्व णपत्र (10+2 पद्धति के व्योग्यता और श्रमसाध्य	अधीन 10वीं कक्षा व	प्रत्तीर्ण)।	लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पणः उन्हें अपनी पुष्टीकरण व पहले अग्नि, विस्फोटक और पर्याव सुरक्षा केन्द्र (सीफीज) द्वारा संचालि अग्निशमन साधारण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करना होगा
	(10)	-		(11)	
	सीधी भर्ती द्वारा			लागू नहीं होत	Ţ
	(12)	20° V - 73 AMOV			(13)
 संबंधित वि के लिए प्रयोगशाव 	न्नित समिति-II (पुषि विकेंद्रीकृत विभागीय संगि नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुस ला/स्थापन का निदेशक/	मिति–II समूह को संचा iधान और विकास सं प्रधान	गठन की —अध्य	पक्ष	लागू नहीं होता ।
प्रयोगशा अधिकार्र 3. एक ऐसा वैज्ञानिक	विकेंद्रीकृत विभागीय सिंग् ला/स्थापन का ऐसा अ ो श्रेणी-2 या उसके सम् । अधिकारी जो ज्येष्ठ प्र ''ग' या उसके समतुल्य गीय प्रोन्ति सिमिति-II स	ाधिकारी जो ज्येष्ठ प्र मतुल्य रैंक से नीचे का शासनिक अधिकारी थें । रैंक से नीचे का न ह	शासनिक १ न हो —सद गेणी-1 या हो और वह	स्य	
	कान हो		सद	उग	•

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/अ.श./सी/पी/0] एस. के. देव, अवर सर्हि

पाद टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में सं. का.नि.आ. 383 तारीख 16 नवम्बर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए इसका संशोधन सं. का.नि.आ. 236 तारीख 12 जुलाई, 1975, सं. का.नि.आ. 19 तारीख 31 जनवरी, 1976, सं. का.नि.आ. 1 तारीख 20 जुलाई, 1976 । इसका अधिक्रमण करते हुए सं. का.नि.आ. 82 तारीख 23 फरवरी, 1980 । इसका संशोधन क हुए सं. का.नि.आ. 200 तारीख 20 जुलाई, 1981, सं. का.नि.आ. 102 तारीख 16 अप्रैल, 1982, सं. का.नि.आ. 361 तार्र 1 दिसम्बर, 1989 (सहायक अग्नि अधिकारी द्वारा किया गया) । इसका संशोधन सं. का.नि.आ. 290 तारीख 28 अवत्र 1992 द्वारा किया गया । इसका अधिक्रमण सं. का.नि.आ. 14(अ), तारीख 29 मई, 1998 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 28th October, 2011

- S.R.O. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Services) Posts Recruitment Rules, 1998 as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the Group 'C' (Fire Service) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence namely:—
- 1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Initial Constitution .—The incumbents of the following posts in the Defence Research and Development Organisation at the commencement of these rules shall be re-designated as indicated below:—
- 3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay, Pay Scale.—The number of said post, its classification and Pay Band and Grade Pay, Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications—(i) The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said pos shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
- (ii) For the purpose of promotion, the Laboratories and Establishments of Defence Research and Development Organisation have been grouped into various Departmental Promotion Committee II Groups, as per the orders issued by the Government from time to time. Each such Group shall be considered as a separate and independent unit and promotion of eligible employees to the next higher post included in these rules along with the posts of Fireman and Leading Fireman. After the implementation of 6th CPC recommendations Group 'D' posts have been abolished and hence there shall not be Departmental Promotion Committee-III constituted.
 - 5. Disqualifications. No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- 7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE				
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay /Pay scale	Whether selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Section Officer	80* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200 20200+ Grade pay Rs. 2800	Selection	Not applicable		
Educational and other qualifications required for direct recruits			qualification	e and educations prescribed swill apply in c	for		
(7)				(8)	(9)		
Not app	licable		Nota	applicable	Not applicable		
or by promoti	on or by deput	er by direct recruitment ation/absorption and be filled by various	grades from which promotion/deputation/absorp				
(10)		(11)				
75 percent by Promotion, 25 percent by transfer from the post of Fire Engine Driver 'C' through Limited Department Limited Competitive Examinations (LDCE) failing which by promotion on the basis of Limited			service of t	g Fireman with ten years as ers	n ten years regular service (combin twhile Fireman 'A' and Fireman 'E		

failing which by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) from the post of Fire Engine Driver 'B' with five years regular service.

1,1.06

- rendered in Pay Band-1 (Rs 5200-20200)+ Grade Pay of R 2000 in the Cadre/Department and possessing the following qualifications:-
- (i) Secondary School Certificate (10th Standard pass und the 10+2 system) from recognised school by Central or Sta Government or through Limited Departmental Competitive Examination.'
- (ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for fire, Explosives and Environment safety or Sul Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or fro National Fire Services College, Nagpur or equivalent from oth reputed institutions. Physical fitness and capability to perfor strenous duties.
- (2) Leading Fireman with fifteen years of regular service render in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 2000 in t Cadre/Department subject to qualify the Trade Test conduct by DPC-II in the following parameters:---
- (a) Should be able to conduct physical training, square dril fire fighting drills, fire fighting/driller pumps operation.

(b) Should be able to demonstrate on the use of fire fighting equipment held in their station.

Transfer:— Through Limited Departmental Competitive Examination from candidates holding posts of Fire Engine Driver 'C' in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800 and possessing the following qualifications:

- (i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognized school by Central or State Government.
- (ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

Promotion:— Through Limited Departmental Competitive Examination from candidates with five years regular service in the Post of Fire Engine Driver 'B' in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 and possessing the following qualifications:

- (i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognized school by Central or State Government.
- (ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for Fire, Explosive and Environment Safty or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur of equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

Note 1: For the purpose of counting of qualifying service, the regular service rendered in the erstwhile Senior Fireman 'A' and Senior Fireman 'B' posts in the respective Departmental Promotion Committee II Group of Defence Research and Development Organisation shall also be taken into account.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less have successfully completed their probation period for promotion the next higher grade alongwith their junios who have already completed such qualifying service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee-II

Not applicable

 Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

-Chairman

(12)

 An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group

---Member

3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishement/Laboratoty of the Departmental Promotion Committee-II Group

---Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Leading Fireman	116* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200+ Grade Pay of Rs. 2000	Selection	Not applicable
(7) Not applicable			(8)		(9)
			Not a	pplicable	Not applicble

(10)

(11)

(i) By Promotion 75 per cent

(ii) By promotions on the basis of Limited Departmental Competitive Examination 25 per cent

Promotion:

- (i) On the basis of Selection Fireman with three years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 1900 in the respective Laboratory or Establishment.
- (ii) Throguh Limited Departmental Competitive Examination from the following cadres:—
- (a) Fire Engine Driver 'A' with three years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 1900 in the Cadre/Department. They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety successfully or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.
- (b) With six years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+ Grade Pay of Rs. 1800 in the post Office Attendant, Cosmetic Attendant, Garden Attendant, Security Attendant in the Cadre/Department and Attendant Lab. Services in the respective Laboratory or Establishment and possessing Secondary School Certificate (10th standard pass under the 10+2 system) recognized by Central or State Government. They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre For Fire Explosives and Environment Safety successfully or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College,

Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, have successfully completed their probation period for promotion the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

(12)

(13)Not applicable

Departmental Promotion Committee-II

1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman

- An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group
- 3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishement/Laboratoty of the Departmental Promotion Committee-II Group

---Member

—Member

(I)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fireman	116* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Rs. 5200-	Not applicable	Between 18 and 27 years. Note 1. (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general canditates and up to forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government).
					Note 2:—The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

(7)	(8)	(9)
 Secondary School Certificate (10th Stamdard pass under 10+2 system) recognised by Central/State Government. Physical fitness and capability to perfrom strenuous duties. 	Not applicable.	Two years Note:-They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety successfully before their confirmation
(10)		(11)
Direct Recruitment	***************************************	Not applicable
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee-II (for confirm	ation)	Not applicable.
 Director/Head of the Defence Research are Development Organisation Laboratory Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group 	y/ ne	· ·
 An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group 	or m	
 An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' of equivalent who does not belong to any of the constituent Establishement/Laboratoty of the Departmental Promotion Committee-II Group 	e	

[F. No. DHRD/76257/RRs/F.F./C/P/01]

S.K. DEB, Under Secy.

Foot Note:—The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 vide No. S.R.O. 383, dated the 16th Novermber 1974. The same was amended vide No. S.R.O. 236, dated the 12th Jul. 1975, No. S.R.O. 19, dated the 31st January, 1976, No. S.R.O. 191, dated the 20th July, 1976, Superseded vide, No. S.R.O. 82, dated the 23rd, February, 1980. The same was amended vide No. S.R.O. 200, dated the 20th July, 1981, No. S.R.O. 102, dated the 16th April, 1982. S.R.O. 361, dated the 1st December, 1989 (Assistant Fire Officer). The same was amended vide No. S.R.O. 290, dated the 28th October, 1992 and superseded vide No. S.R.O. 14(E), dated the 29th May, 1998.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुंलाई, 2011

का.नि.आ. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद के भर्ती नियम, 1998 को, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'ख' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :—

- 1: संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंघान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) मर्ती नियम, 2011 है।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बेंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरहेता,—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पशकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति,—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ष या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रमाल नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समग्र-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुस्	च्ची	•		·
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड ३ ग्रेड वेतन/ वेतनमान	ौर चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए के लिए आयु-स		तयों
(1)`	. (2)	(3)	(4)	(5)	(6).		1
प्रशासनिक सहायक 'ख'	702* (2011) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग',	वेतन बैंड-1 5200-202		लागू नहीं होता		•
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	+ ग्रेड वेत- 2400 रु.		•		
			······································				,
सीधे भर्ती किए और अन्य अर्हत		के लिए अपेक्षित शैषि		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		की अवधि, यदि	कोई हो
	(7)			(8)	,	(9)	
7	गगू नहीं होता			लागू नहीं होता	ল	ग्रू नहीं होता	

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

- (i) चंयन के आधार पर ग्रोन्नित द्वारा 75%
- (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्ति हारा ग्रेड वेतन 1900 रुपए में ऐसे समृह 'ग' कर्मचारिवृन्द से जिन्होंने बारहवीं कक्षा या समतुल्य आईता उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर चयन के आधार पर प्रोन्नित द्वारा —25%; परनु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति समृह—II में किसी वर्ष में प्रशासनिक सहायक 'ख' की श्रेणी में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से अधिक हो। संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति समृह—II श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले प्रशासनिक सहायक 'क' से प्रोन्नित।

. (11)

प्रोन्नति :

प्रशासनिक सहायक 'क' जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा इस ग्रेड में संबंधित विभागीय ग्रोन्नति समिति—II समृह में की हो ।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ट कर्मचारियों के संबंध में प्रोन्नित के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भी प्रोन्नित के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अगले उच्च पद पर प्रोन्नित के लिए अपने ऐसे किनष्ट कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिविक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन आयोग से परामर्श	। परिस्थितियों में संघ लोक सेवा किया जाएगा
(12)	_		(13)
विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति के लिए):-			लागू नहीं होता ।
 संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधानः 	—अध्यक्ष		
2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी	—संदस्य		
3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक	•	. •	
अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों			•
के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो	—सदस्य		

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04] एस. के. देव, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th July, 2011

S.R.O. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Assistant 'B' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

•			SCHEDULE	•		•		:
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit f	or direct re	cruits	•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	· (6)	·.		
Administrative Assistant 'B'	702* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not app	licable		
		•						
direct recruits	,		•	on prescribed hits will apply i motees (8)			<u>)</u>	
Not app	licable ·		. Not	applicable		Not app	licable	
								·
or by promoti	on or by deputa	ner by direct recruitment tion or absorption and to be filled by various		recruitment by om which pro le	_	-		
(10)			(11)					
		Selection - 75%	Promotio			-		
Competitive E	xamination from	f Limited Departmenta n Group 'C' staff in the possess 12th Class pas	e rendered	rative Assistar in the grade in ee-II Group.				

or equivalent qualifications and have rendered 5 years

on the basis of selection - 25%; Provided that if the total number of vacancies to be regular service in the grade, failing which by promotion

'B' in the respective DPC-II Group is less than 8, no service rendered in the grade in the respective DP/C-II from Administrative Assistant 'A' with eight years regular filled in a year in the grade of Administrative Assistant LDCE shall be held for the group in that year. Promotion

> service are being considered for promotion, their seniors would Note: Where juniors who have completed their qualifying completed such qualiyfing service. next higher grade alongwith their juniors who have already completed their probation period for promotion to the or two years, whichever is less and have successfully qualifying service by more than half of such qualifying service also be considered provided they are not short of the requisite

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

recruitment Commission is to be consulted in making Circumstances in which Union Public Service

Departmental Promotion Committee for considering promotion: (S) Not applicable. (13)

Two senior officers of the concerned Establishment

Head of the concerned Establishment or Laboratory — Chairman

or Laboratory .

-Members

or Headquarters equivalent to or above the rank of An Officer from another Laboratory/Establishment Establishment the members of the concerned Laboratory.

Member

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst. 'B'/C/P/04] S. K. DEB, Under Secy



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 171

नई दिल्ली, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2010, शनिवार/भाद्र 7—भाद्र 13, 1932

NEW DELHI, AUGUST 29—SEPTEMBER 4,2010, SATURDAY/BHADRA 7—BHADRA 13,1932 No. 171

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग ॥—खण्ड 4 PART II-Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

का.नि.ओ. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका संबंध तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) और सहायक तकनीको (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधीन, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट है।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 3298 GI/2010

(187)

(8)

Note 2: The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11) (12)
Direct recruitment Not applicable.

(13) (14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Confirmation:—

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

- Additional Director General Armed Forces Medical Chairman
 Services (Equipment and Stores)
- 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services —Member
- 3. Director or Deputy Secretary (Civilian Personnel), Ministry of Derence-Member

[F. No. 11375/RR/ATEO & TEO/DGAFMS/DG-2B/284/RR/D (Appts)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' अराजपित (अनुसिचवीय) पद भर्ती नियम 1998 का, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'क' के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में प्रशासनिक सहायक 'क' के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2010।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2., पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं ,—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट है ।
 - 4. निरर्हता,---वह व्यक्ति,---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			•	अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड बेतन/ बेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' असपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन- रुपये 1900	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अभ्यर्थियों के मामले में, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्रारूप की प्राप्त की अंतिम तारीख होगी।
सीधे भर्ती कि	ए जाने वाले व्य	क्तियों के लिए	सीधे भर	र्ती किए जाने व	त्राले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि,
अपेक्षित शैक्षि	क और अन्य ३	नर्हताएं			तक अर्हताएं प्रोन्नत नागू होंगी या नहीं	यदि कोई हो
	(8)			(9)		(10)
	प्राप्त बोर्ड या वि उत्तीर्ण या समतु	वश्वविद्यालय से ल्य	आयु शैक्षिक	नहीं योग्यता नह	Ť	दो वर्ष
(2) अंग्रेजी में प्रति मिनट पर टंकण की शब्द और हिन् से कम्प्यूटर प केडी पी एच/ शब्द और प्रति	में प्रति मिनट 3 25 शब्द की गां गति, या अंग्रेर्ज दी में प्रति मिनट र टंकण की गति 9000 केडीपीए ा मिनट 30 शब्द	0 शब्द और हिन्दी ति से टंकण मशीन में प्रति मिनट 3: 30 शब्द की गति ते के लिए (1050 व) प्रति मिनट 3: के अनुरूप प्रत्येव न के औसत पर	र इ त 0 5 ह			

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने थाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा 85% और प्रोन्नित द्वारा 15%
(1) 10%, प्रोन्नित द्वारा ऐसे समृह 'ग' कर्मचारी वृन्द
से जो 1800 रु. ग्रेड वेतन में हो और जिन्होंने 12वीं कक्षा
या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो और श्रेणी में तीन वर्ष नियमित
सेवा की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने

(2) 5%, प्रोन्त द्वारा ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रोन्नित: ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नित द्वारा 10% जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की हो एवं श्रेणी वेतन 1800 रुपये के पद में 3 वर्ष ग्रेड में नियमित सेवा की हो । टिप्पण 1. परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनु-सूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयु-सीमा 50 वर्ष) टिप्पण 2. यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से कम ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं अधिक हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या को पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों के भरने में विचार होगा जिसमें पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जाएगा जो बाद में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं ।

(2) समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर प्रोन्तत द्वारा पांच प्रतिशत, जिन्होंने 1800 रुपये ग्रेड वेतन के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामशं किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता ।

विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टिकरण और प्रोन्नित के लिए)

संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान

---अध्यक्ष

संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी

---सदस्य

 िकसी अन्य स्थापना/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/ स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो --सदस्य

[मिसिल संख्या ढीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासन/सी/पी/03/2188/डी (आर एंड डी)] एस के देव, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd August, 2010

- S.R.O. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3298 GI/10-3

- 2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. .—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE Number of Classification Pay Band and Whether Whether benefit Age limit for direct recruits Name of of added years Grade Pay or selection post post Pay Scale post or of service admisnonsible under rule 30 of the Central selection post Civil Services (Pension) Rules, 1972 (1) (2)(3)(4) (5) (6) (7) Between 18 and 27 years. 1. Adminis-759* (2010) General Central Pay Band-1 Non-Not applicable trative *Subject Service Rs. 5200seleciton Note 1. (Relaxable for Govern-20200+ ment servants upto 40 years Assistant to variation Group 'C' dependent Non-Gazetted, Grade Pay of in the case of general candi-'A' on workload. Ministerial Rs. 1900 dates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 2. The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

Period of probation, Whether age and educational Educational and other qualifications required for direct qualifications prescribed for if any recruits direct recruits will apply in the case of promotees (10)(9) (8) Two years Age--No Essential: (i) 12th Class pass or equivalent from a recognized Educational Qualification-Yes Roard or University: (ii) Typing at the speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter, or Typing at the speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade Method of recruitment, whether by direct from which promotion or deputation or absorption to be made recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (12)(11)Eighty five percent by direct recruitment Promotion:-and Fifteen percent by promotion (i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from (i) Ten percent by promotion through Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Departmental Examination from Group Class pass or equivalent and had rendered 3 years regular service in the 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/and who possess 12th Class pass or grade. Note 1.-The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years equivalent qualifications and had rendered (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes). 3 years regular service in the grade, on the Note 2.-If more of such employees that the number of vacancies availbasis of departmental qualifying examination. able are qualified at the examination, such excess number of employees (ii) Five percent by promotion on the basis shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent of seniority-cum-fitness basis from amongst years so that employees qualifying at an earlier examination are Group 'C' employees who have rendered considered before those who qualify at the later examination. three years regular service in posts with (ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness the Grade Pay of Rs. 1800/basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-. Circumstances in which Union Public If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition Service Commission is to be consulted in making recruitment. (14)(13)Not Applicable Departmental Promotion Committee for considering promotion and for confirmation consisting of :-Head of the concerned Establishment or Laboratory—Chairman

members of the concerned Laboratory/Establishment

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03/2188/D (R&D)] S. K. DEB, Under Secy.

